CNR No.UPGD01004228-2019

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय–प्रथम

(महिलाओं के विरूद्ध अपराध), गोण्डा।

उपस्थितः मनोज कुमार "उच्चतर न्यायिक सेवा" (J.O. Code– UP3835)

सत्र परीक्षण संख्या– 197/2019

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन।

बनाम

01. लक्ष्मी प्रसाद पुत्र राम प्रसाद,

02. विनोद पुत्र लक्ष्मी प्रसाद

02. ज्ञानू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद

निवासीगण–मुंशी पुरवा मौजा चौदहा थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।

..अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या– 104/2019

धारा– 498(a) व 304(b) भारतीय दण्ड संहिता

एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना–कटरा बाजार, जनपद–गोण्डा।

अभियोजन द्वारा:– **श्री चंद्रशेखर सिंह** सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं उनके सहयोगी श्री मनोज कुमार मिश्रा (अधिवक्ता)।

अभियुक्तगण द्वारा:– **श्री आशुतोष चतुर्वेदी** (अधिवक्ता)।

घटना की तिथि	30.04.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	30.04.2019
अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	14.06.2019
संज्ञान की तिथि	10.07.2019
आरोप विरचना की तिथि	10.12.2021
विचारण प्रारम्भ होने की तिथि	14.05.2022
विचारण समाप्त होने की तिथि	01.08.2026

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.08.04 12:13:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

01. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद संख्या 197/2019 का विचारण, थाना–कटरा बाजार, जनपद गोण्डा की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–104/2019 अन्तर्गत धारा–498(a) व 304(b) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना–कटरा बाजार, जनपद गोण्डा में अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया, जिस पर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, गोण्डा द्वारा दिनांक 10.07.2019 को प्रसंज्ञान लिया गया, प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद दिनांक 10.07.2019 को तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। यह सत्र परीक्षण वाद इस न्यायालय को माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 10.10.2025 के अनुपालन मे दिनांक 27.10.2025 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, तदोपरान्त अभियोजन साक्ष्य के आधार पर उक्त वाद का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले की मृतका की पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से जहां भी मृतका का नाम आया है, वहां उसे इस निर्णय में मात्र "मृतका" शब्द से संबोधित किया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नान्हू पुत्र बाबूराम, तहरीर **प्रदर्श क–1** प्रस्तुत कर कथन किया है कि वह मौजा बेहटा थाना दरियाबाद, जनपद बाराबंकी का निवासी है। अभियुक्तगण ज्ञानू, लक्ष्मी प्रसाद, विनोद मुंशी पुरवा मौजा चौदहा थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा के निवासी हैं। वादी की लड़की (मृतका) उम्र करीब 19 वर्ष का विवाह आज से लगभग दो वर्ष पूर्व अभियुक्त ज्ञानू के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के साथ हुआ था, मृतका अभियुक्तगण के घर पर रही। अभियुक्तगण मृतका को दहेज के लिये मारते–पीटते तथा प्रताड़ित करते थे। दिनांक–30.04.2019 को सभी अभियुक्तगण ने मिलकर वादी की पुत्री (मृतका) को मार डाले। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की याचना की गयी।

03. वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा में मुकदमा अपराध संख्या–104/2019 धारा–498(a) व 304(b) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध एफ०आई०आर० **प्रदर्श क–11** पंजीकृत किया गया, जिसका तस्किरा **प्रदर्श क–5** दिनांक–30.04.2019 को समय 17:20 बजे किया गया तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी करनैलगंज गोण्डा को सुपुर्द किया गया। मृतका बुधना के शव का पंचायतनामा **प्रदर्श क–5** नायब तहसीलदार शिवदयाल तिवारी द्वारा दिनांक 30.04.2019 को पंचान नियुक्त करते हुये कांस्टेबल संजय यादव, कांस्टेबल करन यादव, महिला आरक्षी सोनी यादव के साथ पहुंच कर शव का निरीक्षण कर पंचायतनामा तैयार किया गया तथा साथ में फोटोनाश **प्रदर्श क–7**, चालान लाश **प्रदर्श क–8**, चिट्ठी आर०आई० **प्रदर्श क–9**, चिट्ठी सी०एम०ओ० **प्रदर्श क–10** व नमूना मोहर **प्रदर्श क–6** तैयार करा कर मृतका की लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतका के शव का शव–विच्छेदन आख्या **प्रदर्श क–2** दिनांक 01.05.2019 को समय 02:10 पी०एम० से लेकर 02:35 पी०एम० के बीच चिकित्सक दीपक कुमार के द्वारा किया गया। बाद सम्पूर्ण विवेचना, सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू के विरूद्ध धारा–498(a) व 304(b) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप–पत्र **प्रदर्श क–4** अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा के न्यायालय

मे प्रेषित किया गया, जो दाण्डिक वाद संख्या 4767/2019 के रूप मे पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा प्रस्तुत आरोप–पत्र पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा दिनांक 10.07.2019 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

04. अभियुक्तगण को मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा तलब किया गया तथा धारा–207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन के उपरान्त अभियुक्तगण के उपरोक्त प्रकरण को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, गोण्डा द्वारा मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण दिनांक 10.07.2019 को सत्र न्यायालय, गोण्डा को सुपुर्द किया गया, जो सत्र परीक्षण वाद संख्या 197/2019 के रूप मे पंजीकृत हुआ, इसके उपरान्त माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 10.10.2019 के अनुपालन में यह वाद स्थानान्तरण द्वारा इस न्यायालय को दिनांक 27.10.2019 को विचारण हेतु प्राप्त हुआ। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आए।

05. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद में दिनांक 10.12.2021 को अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–498(a) व 304(b) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इन्कार किया तथा मामले के विचारण की मांग की, तदोपरान्त अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत वाद का विचारण किया गया।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य पी०डब्लू०–1 लगायत पी०डब्लू०–10 को परीक्षित कराया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**
1.	**पी०डब्लू०–1**	नान्हू (मृतका का पिता/वादी मुकदमा)
2.	**पी०डब्लू०–2**	शिवकुमारी (मृतका की माँ)
3.	**पी०डब्लू०–3**	अरविन्द कुमार (मृतका का भाई)
4.	**पी०डब्लू०–4**	धर्मपाल (मृतका का चचेरा भाई)
5.	**पी०डब्लू०–5**	**पप्पू मिश्रा उर्फ संजय मिश्रा (शादी कराने वाले पंडित)**
6.	**पी०डब्लू०–6**	राजू (मृतका का चचेरा भाई)
7.	**पी०डब्लू०–7**	डॉक्टर दीपक कुमार (मृतका के शव पोस्टमार्टमकर्ता)
8.	**पी०डब्लू०–8**	जितेन्द्र कुमार दूबे (विवेचक)
9.	**पी०डब्लू०–9**	शिवदयाल तिवारी (पंचायतनामा तैयार कर्ता)
10.	**पी०डब्लू०–10**	मो० इस्लाम खान (एफ०आई०आर०/जी०डी० तैयारकर्ता)

07– अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित अभियोजन अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रम संख्या	**प्रदर्श**	**दस्तावेज का विवरण**
1.	**प्रदर्श क–1**	तहरीर
2.	**प्रदर्श क–2**	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
3.	**प्रदर्श क–3**	घटनास्थल दृष्टिचित्र
4.	**प्रदर्श क–4**	आरोप पत्र

5.	**प्रदर्श क–5**	पंचायतनामा
6.	**प्रदर्श क–6**	नमूना मोहर
7.	**प्रदर्श क–7**	फोटोनाश
8.	**प्रदर्श क–8**	चालान लाश
9.	**प्रदर्श क–9**	चिट्ठी आर० आई०
10.	**प्रदर्श क–10**	चिट्ठी सी०एम०ओ०
11.	**प्रदर्श क–11**	चिक एफ०आई०आर०
12.	**प्रदर्श क–12**	कायमी जी०डी०

08– अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में उपरोक्त साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है जिनके साक्ष्य निम्न प्रकार हैंः–

09– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–1 नान्हू (वादी मुकदमा)** ने सशपथ बयान किया कि मेरी लड़की (मृतका) की शादी आज से करीब 4–5 साल पहले ज्ञानू के साथ हिन्दू रीति रिवाज से किया था। ज्ञानू का घटना ग्राम मुंशीपुरवा मौजा चौदहा, थाना कटरा बाजार, गोण्डा में है। शादी के समय अपने सामर्थ के अनुसार काफी दान–दहेज दिया था। मृतका की विदाई शादी में ही किया था, लेकिन गौना एक साल के बाद दिया था। उसके पति ज्ञानू, ससुर लक्ष्मी प्रसाद व जेठ विनोद मेरी लड़की से सोने की लर (माला) व रूपयों की मांग को लेकर मारते–पीटते थे, गाली गुप्ता देते थे। उसके ससुराल में जब कोई जाता था या वह जब ससुराल से मायके आती थी, वह मुझसे, मेरी पत्नी व बच्चों आदि परिवार वालो को बताती थी। तब मैं अपनी लड़की (मृतका) को समझाते थे कि धीरे–धीरे सब ठीक हो जायेगा, जब मेरे होगा तब हम दे देंगे और यही बात उसके ससुराल वालों को भी बताते थे। यही बात बता कर मैं अपनी लड़की को विदा कर दिये। आज से करीब तीन चार साल पहले मुझे गांव पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना मिली कि तुम्हारी लड़की उसके ससुराल वालों ने मार डाला है। सूचना पाकर मैं गांव के कई लोगों के साथ अपनी लड़की (मृतका) के घर ग्राम चौदहा मुंशीपुरवा पहुंचा तो देखा कि मेरी लड़की को मार कर बेड के नीचे फेक दिये थे। तब इस बात की सूचना प्रार्थना पत्र लिख कर करीब 5–6 बजे थाना कटरा पर दिया, तब मौके पर पुलिस वाले व मजिस्ट्रेट साहब आये और मेरी लड़की बुधना की लाश देखे। मेरी लड़की के हाथ, पैर, गाल, माथे पर, पीठ, कमर पर चोट थी। उसके बाद शव का पंचायतनामा हुआ था। जिसमें पांच लोग को गवाह बनाये थे। पंचायतनामा पर मेरा निशानी अंगूठा बनवाये थे। उसके बाद शव को सील मोहर कर पोस्टमार्टम के बाद लाश हमें मिली थी, जिसका दाह संस्कार मैने सकरौरा घाट पर किया था, जो प्रार्थना पत्र मैं थाने पर लिखा कर दिया था, वह शामिल पत्रावली कागज संख्या–4/4 के रूप में मौजूद है, जिस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा है। गवाह को पढ़ कर सुनाया गया तो गवाह ने तस्दीक किया। तहरीर पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी नान्हू (वादी मुकदमा) (पी०डब्लू०–1) ने कथन किया है कि मै नहीं जानता कि मेरी शादी आज से कितने साल पहले हुई थी। मेरे दो लड़के है तथा दो लडकियां थी, जिसमें से एक लड़की को मार डालें है। मेरा घर गोण्डा बाराबंकी बार्डर पर है, जो बाराबंकी में पड़ता है। मेरे घर से अभियुक्त के घर की दूरी 15 किलोमीटर से अधिक होगी। मेरा

पहले से ज्ञानू के यहां आना–जाना रहता था। मेरे छोटे भाई की लड़की ज्ञानू के पड़ोस में ब्याही हुई है। मेरे भाई की लड़की जो पहले से ज्ञानू के पड़ोस में ब्याही थी, वह और उसके घर वाले ज्ञानू की शादी बताये थे। मेरी लड़की (मृतका) मेरे छोटे भाई के लड़की के घर ज्ञानू के गांव आती–जाती थी। मेरी लड़की का ज्ञानू के पड़ोस में छोटे भाई के लड़की के घर आने–जाने से ज्ञानू से मेल–मुलाकात होती थी तथा मेरी लड़की (मृतका) मुझसे व मेरे पत्नी से शादी के लिए कहती भी थी। जब मेरी लड़की मुझसे व घर वालों से कहा कि ज्ञानू के साथ मेरी शादी करो तब हम लोग ज्ञानू के घर शादी देखने गये थे। ज्ञानू के घर शादी देखने मैं तथा राजू गये थे। मुण्डन का कार्यक्रम था उसी में शादी भी देखने गये थे। मुण्डन में शाम को गया था, शादी की बात–चीत सुबह किया गया था। मुण्डन मेरी भाई की लड़की के जेठ के लड़के की थी। मै शादी तय करने के कोई सामान नहीं ले गया था। मैं 551/रुपए मृतका के ससुर लक्ष्मी प्रसाद को रामजोहाई में दिया था। मैं लक्ष्मी प्रसाद के घर कुछ नहीं खाया–पीया था। उसके बाद मैं अपने घर चला आया। मुझे याद नहीं है कि शादी तय करने किस महीने में गया था या राम जोहाई के कितने दिन बाद गया था, मुझे याद नहीं है।

11. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी नान्हू (वादी मुकदमा) (पी०डब्लू०–1) ने आगे कथन किया है कि मै पढ़ा–लिखा नहीं हूँ, इसलिये तारीख व दिन नहीं बता सकता, शादी को चौथा साल चल रहा है। जब शादी में लक्ष्मी प्रसाद के यहां शादी तय किया था तब मेरा व लक्ष्मी प्रसाद के घर वालों से कोई दान–दहेज तय नहीं हुआ था। बाद में दहेज मांग रहे थे। शुरू से ही दान–दहेज मांग रहे थे। शादी में दान दहेज के रूप में गद्दा, आलमारी, छोटा बड़ा बक्शा, बेड तथा मोटरसाइकिल का पैंसा दिया था। तिलक में 90,000/रू0 दिया था। शादी में लेन–देन को लेकर विवाद हुआ था। सोने की लरी व कुछ रूपया मांग रहे थे, इसलिये विवाद हुआ था। शादी के समय लेन–देन का एक पर्चा तैयार हुआ था। पर्चा में क्या–क्या लिखा था, मुझे पता नहीं है। जब मेरी लड़की (मृतका) ब्याही थी, उसके चार पांच घर हट कर मेरे गांव की एक लड़की ब्याही थी। मेरी लड़की शादी के पहले लक्ष्मी प्रसाद के घर कभी नहीं आती–जाती थी। मेरे दामाद ज्ञानू शादी के पहले मेरे घर एक बार पड़ोस की लड़की, जो उनके गांव में ब्याही है, के साथ आये थे। ज्ञानू से व मेरी लड़की से मेरे घर पर कोई बात–चीत नहीं हुई थी। मेरी लड़की (मृतका) शादी के पहले ज्ञानू से कोई मुलाकात नहीं की है। मेला में मेरी लड़की की मुलाकात ज्ञानू से नहीं होती थी। जब मेरी लड़की मेरे घर पर आती थी तो शिकायत करती थी कि ससुराल सोने की लरी मांगते हैं तो मैं कहता था कि ठीक दिया जायेगा तथा धीरे–धीरे सब भूल जायेगा। इस शिकायत की सूचना मैंने थाने पर नहीं दिया था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि ज्ञानू शादी के बाद मेरी लड़की को कार या मोटर साइकिल से घुमाने ले जाते थे या नहीं। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की ज्ञानू से शादी के पहले से प्यार करती थी, इसलिये मै नाराज होकर ज्ञानू के साथ शादी किया था। यह कहना गलत है कि ज्ञानू की शादी के पहले अक्सर मेरे घर आता जाता था तथा सामान वगैरह भी लाता था। लड़की के मरने की सूचना किसी ने मेरे घर दिया था, उसका नाम मै नहीं जानता हं। जब लड़की के मरने की सूचना किसी गांव वाले ने मुझे दी तब मैं अपनी लड़की के ससुराल 3–4 बजे दिन में पहुंच गया था। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता मुझे नहीं मालूम है। मृत्यु की सूचना मिलने पर हम लोग चार–पांच मोटर साइकिल व एक बोलेरो से ज्ञानू के घर लिए चले थे, कितने लोग थे मै गिना नहीं था। मार कर लाश बेड़ के नीचे फेंक दिये थे। जब हमलोग वहां पहुंचे तो मेरे साथी लोग कहे कि बेड़ के नीचे से बाहर किया जाय, पता नहीं जिन्दा हो, तब हम लोग लाश

को बाहर किये। लाश बेड़ के नीचे थी तथा बेड़ कमरे में था। उसको बेड़ के नीचे से निकाला तो वह जिन्दा नहीं थी तब लाश आंगन में रखा गया। मुल्जिमान के घर का वहां कोई नहीं था, दरवाजा दबा था। तब मैं कटरा थाने गया। मैने तहरीर दूसरे से लिखाई थी। घटना मैंने लिखने वाले को बताया था, तहरीर में क्या लिखा है, मै नहीं पढ़ पाऊंगा।

12. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी नान्हू (वादी मुकदमा) (पी०डब्लू०–1) ने आगे कथन किया है कि जब मैं ज्ञानू के घर गया तो लाश उनके कमरे में मिली, कमरे में बेड़ के नीचे मार कर फेंक दिये थे। मैंने लड़की को मारते नहीं देखा था। जब मैंने लड़की को देखा था, धोती ब्लाउज पहने हुई थी। जब मैं घर पहुंचा था तब मेरी लड़की के ससुराल वाले घर पर नहीं थे। पल्ला ओढ़घाया हुआ था, घर पर कोई मौजूद नहीं था। घर पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। आस पास के लोग भी घर छोड़ कर भाग गये थे। जब मैं अपनी लड़की के घर पहुंचा तो मेरे साथ चार–दस आदमी थे। हम लोगों ने बेड के नीचे से निकाल कर आंगन में लिटाया था, हम रोने लगे थे। तब लक्ष्मी प्रसाद व ज्ञानू भी पहुंच गये थे और गांव के तमाम लोग पहुंच गये थे, उसके बाद ज्ञानू ने घर की औरते भी इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद पूरा परिवार रोने लगा। उसके बाद थाने पर गये, थाने पर मैंने दरोगा जी से मिला और सी०ओ० से मिले थे, वहां पर पहुंचने के बाद मैंने उन अधिकारियों से अपनी बात बताई और रिपोर्ट लिखवाई, रिपोर्ट दूसरे से लिखवाकर दिया था। मुझे यह नहीं पता कि उसमें क्या लिखा था। रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस लोग आये थे। पुलिस ने लिखा पढ़ी किया था। पुलिस जब आई थी तब पंचनामा हुआ था। पंचनामा के समय हमारा 35 लोगों का परिवार व लक्ष्मी प्रसाद का पूरा परिवार पंचायतनामा के समय मौजूद था। उस समय ज्ञानू भी बाद में आ गये। उस समय लक्ष्मी प्रसाद का परिवार मौजूद नहीं था। पंचायतनामा के बाद जब दरोगा जी ने बुलवाया था, तब ज्ञानू आये थे। पंचायतनामा के समय सभी लोग मौजूद थे, पंचायतनामा पर मेरा हस्ताक्षर हुआ था। मेरा कहना है कि चोट होने के कारण लड़की की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी प्रकार की चोट नहीं थी। मैं अपनी लड़की को शादी के तीसरे दिन विदा कर कर लेकर गया था, मैं लेने गया था, मुझे याद नहीं है। मैंने अपनी लड़की की शादी में विदाई किया था और दान–दहेज अपनी हैसियत के मुताबिक दिया था। शादी के बाद मेरी लड़की मृत्यु शादी के लगभग साल भर के अन्दर मौत हो गयी, उसे मार डाले थे। शादी के साल भर के बाद ले गये थे। हमको याद नहीं है कि लड़की की विदाई कब किया था। लड़की की विदाई कराने मैं गया था और मुझे याद नहीं है। मेरी लड़की ससुराल से विदा होकर आई थी। लगभग एक महीना के बाद मर गई थी। लड़की ने मुझे बताया था कि दान दहेज के लिये मारते पीटते हैं और मैने अपनी लड़की को समझाया–बुझाया था कि गुजर–बसर करो, मैं प्रार्थना पत्र कही नहीं दिया था। शादी करने के बाद ज्ञानू अपने घर पर लड़की को लेकर रहते थे। बीच–बीच मैं भी आया–जाया करता था, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी गांव में थी, मुलाकात के दौरान हमारी लड़की ने शिकायत की थी, किसी तरह से अपने घर में करो और खाओ। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की बुधना ज्ञानू से प्यार करती थी, इस वजह से उसकी शादी अभियुक्त के साथ की गई थी। यह कहना गलत है कि शादी से पहले मेरी लड़की अभियुक्त से प्यार करती थी और साथ लखनऊ आती–जाती थी। यह कहना सही है कि मेरी रिश्तेदारी ज्ञानू के गांव में है। मेरे भाई की लड़की की शादी ज्ञानू के गांव में हुई थी। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की वहां कभी नहीं जाती थी। पोस्टमार्टम के बाद मैं अपनी लड़की को लेकर दाह संस्कार सरजू घाट पर किया था।

दाह संस्कार के समय लक्ष्मी प्रसाद मौजूद नहीं थे। मुझे याद नहीं है कि दाह संस्कार में कौन–कौन मौजूद था। मैंने हड्डी उसी समय सरजू में डाल दिया था। तेरहवीं का कार्यक्रम मैंने किया था, अपने घर पर किया था। मैंने अपने हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। यह कहना गलत है कि किसी ने न मारा–पीटा था और न ही दहेज के लिये प्रताड़ित किया था। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की लखनऊ कभी ज्ञानू के साथ गई थी। यह कहना गलत है कि लड़की के मरने के पहले मैंने अपनी लड़की व दामाद को कार्यक्रम में बुलाये थे। यह कहना गलत है कि फंक्शन में उसके पति ज्ञानू लेकर नहीं गये थे, इस कारण मेरी लड़की फांसी लगाई थी। यह भी कहना गलत है कि लड़की के ससुराल वालों ने कभी दान दहेज की मांग नहीं किया था।

13– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–2 शिवकुमारी (मृतका की माँ)** ने सशपथ बयान किया कि आज से करीब पांच साल पहले मेरी लड़की की शादी ज्ञानू के साथ हुई थी। मैंने अपने हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था। ज्ञानू मुंशीपुरवा मौजा चौदहा के रहने वालें है। इनका थाना कटरा बाजार के रहने वाले है। ससुराल जब मेरी लड़की गई थी तो सोने की जंजीर और रूपये की मांग कर रहे थे। दुकान चलाने के लिये मांग रहे थे। ज्ञानू, उनके भाई विनोद व पिता लक्ष्मी प्रसाद यह सभी लोग मांगते थे। मैं देने के लिये तैयार थी। मैने कहा कि बिटिया तुम घर जाओ, न दे पाने के कारण से मेरी बिटिया (मृतका) को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। यह बातें मुझे मेरी बिटिया बताती थी। मैंने सोने की लर व रूपया नहीं दे पाई थी, इसलिये मेरे बिटिया को जान से मार कर खत्म कर दिये थे। मरने के बाद हम लोग लड़की की लाश देखने गये थे। बाद में पुलिस ने मेरा बयान लिया था, उससे भी मैंने अपना बयान दिया था, थाने पर मैं नहीं गई थी, मेरे आदमी के साथ आठ–दस लोग गये थे।

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी शिवकुमारी (पी०डब्लू०–2) ने कथन किया है कि मेरा नाम शिवकुमारी है, मेरी उम्र 65 व 70 साल की होगी। शादी मेरी तीस साले पहले हुई थी। फिर कहा की पैंतीस साल पहले हुई थी। हमारे दो लडके और दो लड़की थी, बडे लड़के की उम्र लगभग 28 साल है, बड़ी लड़की की उम्र 30 साल हुई है और छोटे लडके की उम्र 22 साल तथा मेरी लड़की की उम्र घटना के समय 18 वर्ष लगभग थी। मैं अपनी लड़की की शादी चटकहा मरकहा मुंशीपुरवा थाना कटरा बाजार जिला गोण्डा में हुई थी। लड़की की शादी देखने मेरे आदमी और लड़के गये थी। मेरे यहां लड़की की शादी में लड़की देखने का कार्यक्रम नहीं हुआ था। मेरे छोटे देवर की लड़की की शादी उसी गांव में जहां मेरी लड़की की शादी हुई है, वहीं पर मेरे देवर की लड़की की शादी हुई है। जहां से मेरी लड़की की शादी हुई थी, वहीं से मेरे देवर की लड़की की शादी मीटर की दूरी पर है, मेरी लड़की (मृतका) मेरे देवर के लड़की के यहां आती–जाती नहीं थी। मेरे देवर की लड़की ने शादी बताकर करवाई थी। मेरे मालिक मुख्तयार गये थे, जहां मृतका का शादी किया था। इनके पास दुकान बनी है, हम देखने नहीं गई थी। शादी जब हुई थी तब मैंने एक लाख, बीस हजार रूपया नकद तथा कपड़ा 9 साड़ी, तीनों भाई पैन्ट–शर्ट और समधी को धोती–कुर्ता दिये थे। शादी के समय तीनों भाई एक ही में रहते थे, बटवारा नहीं हुआ था। शादी में डाल गया था, पुराना जेवर गया था, पांच थान गया था। झुमकी, मटर माला, करधन, पायजेब, नाक की नथुनी गई थी तथा दो साड़ी मेरे लड़की के लिये गया था। शादी के समय किसी भी प्रकार का वाद–विवाद नहीं हुआ था। शादी में लेन–देने के लिये कोई वाद–विवाद नहीं हुआ था। विदाई के समय कोई वाद–विवाद

नहीं हुआ था। मेरी लड़की (मृतका) शादी के बाद छः–सात बार आई गई, पहले विदा होकर आई थी, तब शिकायत नहीं की थी। बाद में जब आती–जाती थी तब शिकायत करती थी। जब मेरी लड़की को मारते–पीटते थे, मेरे दामाद तब मैं अपने लड़की को समझा–बुझाकर भेज देती थी। इसकी शिकायत नात–बात में कहा जाता था और अपने देवर की लड़की से और दामाद से करते थे। मेरी लड़की को ज्ञानू दो–तीन बार लखनऊ घुमाने टहलाने ले गये थे। ज्ञानू लखनऊ में दुकान किये थे और मेरी लड़की को दो–चार दिन के लिये ले जाते थे। मेरी लड़की पांच तक पढ़ी थी। जब मेरी बिटिया लखनऊ ज्ञानू के साथ मेरे घर से होकर जाती थी। लौटते वक्त मेरे घर नहीं आती थी।

15. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी पीड़िता (पी०डब्लू०–2) ने आगे कथन किया है कि जब मेरी लड़की की मृत्यु हुई तब उनके मोहल्ले वाले फोन किये थे, कौन फोन किया था, नाम मै नहीं जानती हूँ। जब खबर हुआ, तब मेरे घर वाले चार–पांच लोग मोटर साइकिल से गये थे और हम लोग चार पहिया से गये थे। जब हम पहुंचे तो देखा कि मार कर मेरी लड़की (मृतका) को मार कर बेड़ के नीचे लिटा दिये है, तब मरदे भर मिलकर मृतका को बेड़ के नीचे से निकाले थे और जमीन पर लिटाये थे और पानी डाले थे कि लड़की की मृत्यु हो गई। ज्ञानू भाग गये थे, लक्ष्मी प्रसाद घर पर थे, विनोद कहीं गये थे। मै देखने दिन में पहुंची थी, इनके घर की दो औरतें मौजूद थी। दरवाजे पर करीब कितने लोग थे, मुझे नहीं याद है। काफी भीड़ थी। विनोद व ज्ञानू को हमने नहीं देखा था, लक्ष्मी प्रसाद को हमने देखा था। लक्ष्मी प्रसाद से मरदे लोग बात किये थे, हम नहीं जानती हँ कि क्या बात किये थे। मै नहीं जानती क्या हुआ। कटरा थाने पर हम लोग नहीं गए थे। मेरे घर से ज्ञानू के घर की दूरी 3 व 4 खेत छोड़कर है, मेरे पति के साथ थाने पर चार–पांच लोग और गये थे। थाने पर क्या हुआ, मै नहीं जानती हूँ। पुलिस आठ बजे शाम को आई थी। पुलिस आई, क्या काम चालू हुआ, मुझे नहीं मालूम है। जब पुलिस आठ बजे आई, तब मैं अपनी लड़की को पकड़े बैठे थे, पुलिस जब आई ज्ञानू व विनोद को मै नहीं देखी थी। जब हमारी लड़की लिटाई हुई थी तब उसके शरीर पर गले पर चोट थी और गाल काले थे, पीठ पर बेल्ट से मारने के, साड़ी फटी थी, केवल साड़ी फटा था। पेटीकोट व ब्लाउज पहने थी, साड़ी लपेटे थी। धोती लपेटा था, घर में जो औरतें थीं, रो रही थीं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। वे हंसती थी या मायूस थी मैने नहीं देखा था, जब मै पहुंची थी तब पल्ला खुला था, टिकिनी टूटी हुई थी या नहीं टूटी थी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस ने अपना कार्यवाही किया और कफन में बॉध दिया और मर्द लोग मेरे घर के लड़की के साथ में गये थे। हम लोग चैपहिया से छः–सात लोग गये थे, हम सबका नाम नहीं बता सकती हूँ। भाई लोग गोण्डा चले गये थे, पोस्टमार्टम के लिये गये थे। विनोद के छोटे चाचा मिले थे, घर पर यह लोग मौजूद नहीं थे।

16. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी पीड़िता (पी०डब्लू०–2) ने आगे कथन किया है कि जब मेरी लड़की को पोस्ट मार्टम कराने ले गये थे, तब उस समय मैं अपने घर पर थी। उसके बाद मैं लक्ष्मी प्रसाद के घर दोबारा नहीं आई थी। मेरी बिटिया, मेरे देवरानी के लड़की के घर नहीं आती–जाती थी, रिश्तेदारी था। मुझे नहीं मालूम है कि शादी के पहले मेरे घर नहीं आते जाते थे। मुझे नहीं मालूम है कि उनके दुकान है कि नहीं। आई गई मेरी लड़की दो बार लेकिन दो लाख रूपये मांगते थे, हम समझा कर अपनी लड़की को भेज दिया था कि बिटिया दो लाख रूपया नकद व सोने की जंजीर देंगे। दामाद ने शादी में मांगे नहीं थे, इसलिये शादी में नहीं दिया था। मेरी लड़की पांचवी कक्षा पढ़ी थी, एक

मोबाइल फोन ज्ञानू ने अपनी पत्नी को दिये हुए थे, जिससे हमारी पत्नी लगातार बात हो जाये। इस समय ज्ञानू द्वारा मोबाइल दिया जाना कहा जाता है, वह मोबाइल मेरे घर पर इस समय नहीं है। ज्ञानू लखनऊ में नौकरी करते थे या नहीं करते थे, मुझे जानकारी नहीं है। लखनऊ लौटने पर ज्ञानू मेरे घर नहीं आते थे, अपने घर जाते थे। मैंने लड़की के प्रताड़ित करने की शिकायत नहीं किया था और न मैं कोई पंचायत किया था केवल अपनी लड़की को समझाती–बुझाती थी। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की मेरे देवर के घर आती–जाती थी, इसलिये मेरी लड़की व ज्ञानू में प्रेम हो गया था। मेरे देवर की लड़की ने मुझसे कहा कि बड़की अम्मा ज्ञानू से शादी कर दो जैसे हम करते खाते है, वैसे यह भी करते खाते थे और देवर की लड़की से शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके घर आती–जाती नहीं थी। मेरे पट्टीदार के देवर की लड़की भी शादी घटना वाले दिन भी शादी में मेरे लड़की को आना था। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की ज्ञानू के साथ शादी में न जाने से नाराज अपनी आत्म हत्या स्वयं कर ली है। स्वयं उसने अपनी हत्या नहीं किया है, बल्कि मार डाले है। यह कहना गलत है कि मेरी लड़की स्वयं आत्महत्या कर ली थी। शादी में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ। शादी शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुई थी।

17– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–3 अरविन्द कुमार (मृतका का भाई)** ने सशपथ बयान किया कि मेरी बहन (मृतका) की शादी 05.06.2017 को ज्ञानू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासी मुंशीपुरवा मौजा चौदहा थाना कटरा बाजार जिला गोण्डा में हिन्दू रीति–रिवाज से हुई थी। मृतका की शादी में मेरे पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार काफी दान–दहेज दिया था, मेरी बहन की विदाई शादी में हुई थी तथा ज्ञानू के साथ हुई थी। ससुराल में जाने के बाद मेरे जीजा ज्ञानू, दीदी के ससुर लक्ष्मी प्रसाद व जेठ विनोद दहेज में सोने की लर व दो लाख रूपया की मांग कर रहे थे, जिसके लिए मेरी दीदी को काफी परेशान, मानसिक व शारीरिक रूप से करते थे। मेरे पिता के पास इतना आमदनी नहीं है कि दहेज में सोने की लर व रूपया दे सके, इसलिये मेरे जीजा ज्ञानू, दीदी के ससुर व जेठ विनोद मेरे दीदी को मारते–पीटते व दहेज के लिये प्रताड़ित किया करते थे। यह बाद मेरी दीदी मुझसे मेरी मां व परिवार के अन्य सदस्यों से बताया करती थीं। तब मैं व मेरे परिवार के लोग दीदी (मृतका) को समझाते थे, तुम्हारा घर है, धीरे–धीरे ठीक हो जायेगा। मेरी दीदी की मृत्यु दिनांक–30.04.2019 को हुआ था। सूचना मुझे दोपहर में मिला था, दीदी के ससुराल से फोन आया था, तब मुझे जानकारी मिली थी। सूचना आया था कि आपकी लड़की की मृत्यु हो गई, यह सूचना पिता जी के पास आया था। दीदी के ससुराल हमलोग गये थे। दीदी के ससुराल गांव में लोग और हम परिवार वाले गये थे, जाकर देखा कि मेरी दीदी की लाश अन्दर कमरे में बेड़ के नीचे पड़ी थी। तब हम लोग मिलकर बाहर लाये थे, शरीर को बेड़ के नीचे से बाहर निकाला था। हाथ मुंह, धुला तो शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तब हमलोग समझे की दीदी की मृत्यु हो चुकी है। दीदी के शरीर पर घुटने, पीठ व गले पर चोट थी, तब मेरे पिता जी थाना कटरा गये, रिपोर्ट लिखाने। तब वहां से पुलिस आई थी। जब हम लोग दीदी के ससुराल पहुंचे थे ज्ञानू, लक्ष्मी व विनोद घर पर मौजूद नहीं थे। तब थाना कटरा बाजार से पुलिस आई थी। पुलिस वाले देखा और लाश का पंचनामा हुआ और लेडीस पुलिस भी गई थी। महिला पुलिस ने लाश को देख कर मेरी दीदी के शरीर पर आई चोटों को देख कर महिला पुलिस ने दरोगा जी को बताया था। हम लोगो के सामने लाश का पंचनामा हुआ था। पंचनामा पढ़ कर मैने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। मूल पंचायतनामा मेरे सामने है, जो

पत्रावली में कागज सं०–5/19 व 5/20 के रूप में मौजूद है, मैं अपने द्वारा बनाये गये हस्ताक्षर को तस्दीक करता हूँ। दरोगा जी ने मेरा बयान बाद में लिया था। मैंने यही सारी बाते उन्हें भी बताया था।

18. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी अरविन्द कुमार (पी०डब्लू०–3) ने कथन किया है कि इस समय मेरी उम्र 25, 26, 27 साल है। मैं दो भाई दो बहन थे, मै छोटा हूँ। मेरे बड़े भाई घर का काम करते थे, उनकी उम्र 28 वर्ष है, बड़ी बहन की उम्र 30 वर्ष है, मेरी बहन (मृतका) की उम्र 19 वर्ष है। मृतका की शादी 05.06.2017 को किया था। महीना मुझे नहीं मालूम है, शादी तय करने मेरे पिता जी गये थे। शादी के समय मेरी उम्र क्या थी, मुझे मालूम नहीं है। शादी तय करने कौन–कौन गये थे, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था। मै उतना छोटा नहीं था। शादी तय करने पापा गये थे, और उनके साथ और लोग गये थे, उनका नाम नहीं जानता था। तिलक चढ़ाने मैं गया था। तिलक चढ़ाने बहुत से लोग गये थे, करीब पचास लोग गये थे। केला व सेब लेकर गये थे, रूपया 1,20,000– तिलक में दिये थे। किस प्रकार की नोट थी, थारा पर जो नोट रखे थे, उस नोट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तिलक में टेन्ट लगा था, आदमी भी इकट्ठा थे, तिलक धूम–धाम से हो रही थी। तिलक मैंने चढ़ाया था। तिलक चढ़ाते समय सभी परिवार के लोग थे, उसी समय तिलक समारोह सम्पन्न हो रहा था। तिलक चढ़ाने मैं पंड़ित नहीं ले गया था, नाऊ लेकर गये थे। तिलक चढ़ाते समय किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ था। तिलक चढाते वक्त किसी दान–दहेज की बात नहीं हुई थी, जो तिलक मैने चढ़ाया था, उसमें परिवार वाले खुश थे, दूध पिलाई में क्या दिया गया, मुझे नहीं मालूम हुआ। कोई वाद विवाद नहीं था।

19. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी अरविन्द कुमार (पी०डब्लू०–3) ने आगे कथन किया है कि शादी के समय मेरी उम्र 25 वर्ष थी। तिलक चढ़ाने मैं गया था, तिलक मेरे चाचा के लड़के ने चढ़ाया था। मैं अपने चाचा के लड़के का नाम नहीं जानता हूँ। चाचा के लड़के ने तिलक चढ़ाया था या मैंने चढ़ाया था, मुझे याद नहीं है। नकद 2,20,000/रू0 तथा 9 साड़ी, तीनों भाई का कपड़ा तथा उनके परिवार का कपड़ा व फल आदि नहीं चढ़ाये थे, ये तिलक का सामान याद नहीं है। तिलक चढ़ाने के 20–25 आदमी को लेकर गया था। तिलक रात में चढ़ाया था। तिलक चढ़ाने के बाद कितने दिन बाद शादी हुआ, मुझे याद नहीं है। शादी में कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था। शादी में लड़की की विदाई हुई थी। लड़की के विदाई में दान–दहेज दिया था। बेड, आलमारी व बर्तन दिया था, सोना चांदी के बारे में मुझे नहीं मालूम है। दो लाख रूपया वाली बात सही है, जो कागज दरोगा जी ने लगाया है, वह कागज सही नहीं है। थारा मालूम है, लेकिन उसका वजन नहीं मालूम है। विदाई कराने मैं नहीं गया था। घर में बहुत परिवार है, चार–पांच लोग लिखे है, सबका नाम याद नहीं है। चार पहिया लेकर गये थे। शादी 05.06.2017 को हुई थी। विदाई 06.06.2017 को हुई थी। लड़की की वापसी 08.06.2017 को हुई थी। शादी के कितने दिन पहले तिलक गई थी, मुझे जानकारी नहीं है। पहली बार हमारी बहन जब ससुराल से वापस आई थी तो मेरी बहन ने कहा राजी खुशी से हूँ। शादी के विदाई के दूसरी बार कितने दिन बाद विदाई हुई थी, मुझे नहीं मालूम है। अपनी बहन के ससुराल आते जाते थे, कितनी बार आये गये, मुझे याद नहीं है। मै अपने बहन के यहां अकेले आता जाता था, मेरी बहन मुझे कोई विदाई नहीं देते थे। लक्ष्मी प्रसाद व ज्ञानू मुझे विदाई नहीं देते थे। अपने बहन के यहां जाते थे, राम दुहाय होता था। मै अपने बहन से मिलता था, तब मेरी बहन कहती

थी, माला व दो लाख रूपये व बार–बार परेषान करते है। मु0–2,20,000/–सही मागा है, जो पत्रावली में कागज संलग्न है, उसके बारे में मुझें मालूम नहीं है।

20. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी अरविन्द कुमार (पी०डब्लू०–3) ने आगे कथन किया है कि पहली बार मेरी बहन ससुराल में जब विदा होकर आयी थी व दिनांक–08.06.2017 को आयी थी, उसके बाद मेरे बहन को विदा कराने है, उस समय मैं घर पर नहीं था, उस समय मेरे घर वाले थे, विदाई के समय कोई वाद–विवाद नहीं हुआ था। मेरी बहन अक्सर फोन करती थी, फोन पर जब बात–चीत मेरी बहन करती थी, तब कहती थी कि दान दहेज मांगते हैं, 2,20,000/रू0 कैश व माला मांगते थे, इसकी शिकायत मैंने किसी से नहीं कराया था, बाप कहते थे, जब हमारे पास व्यवस्था होगा तब देंगे। मेरे पिता जी के पास कितना खेत है, मुझे नहीं मालूम है, मै पेंटिंग का कार्य करते थे, जब मेरी बहन की मृत्यु हुई थी तब फोन किसके पास आया था, मुझे याद नहीं है। गेहूं कितना बोया था, मुझे याद नहीं है। टेलीफोन किसके पास आया था मुझे मालूम नहीं है। फोन दोपहर में आया था, समय मुझे नहीं मालूम है। जब मेरी बहन की मौत हुई थी, तो उस समय कुछ लोग चौपहिया से गये थे, कुछ लोग मोटरसाइकिल से गये थे। मै पढ़ा–लिखा नहीं हूँ, लेकिन सात–आठ तक पढ़ा हूँ। हम दिहाड़ी वगैरह जोड़ लेता हूँ, मै अपना हिसाब जोड़ लेता हूँ, लेकिन लिख पढ़–नहीं पाता हूँ। मोबाइल में जो नम्बर अंग्रेजी में है, हिन्दी में उसे मै जान लेता हूँ, मैं बाइक व चौपहिया लेकर अपने बहन के घर गया था, कितने आदमी गये थे, मुझे याद नहीं है, लक्ष्मी, ज्ञानू घर पर नहीं मिले, विनोद, रामू भी नहीं मिले थे, दरवाजा मेन गेट खुला था। जिसमें मेरी बहन रहती थी, उसका दरवाजा बन्द था, बेड़ के नीचे मेरी बहन पड़ी थी, जिस कमरे में मरी थी, उसी कमरे में पड़ी थी, ओढाई–बेढ़ाई नहीं थी, वैसे पड़ी थी। मै कोई तोड़–फोड़ नहीं किया था न मै रोते नहीं देखा, मै रोता हुआ था और मेरे पिता जी वगैरह रो रहे थे। हम चार लोग मिलकर बाहर बरामदे में लाये, जमीन पर लिटाया। गाल पर दाग था, गले पर दाग तथा घुटने में दाग था तथा पीठ पर दाग था। माता जी ने देखा, चाची ने देखा था उन लोगों ने मुझे बताया था। आंगन में लाश रखा था। मैंने उनके घर का तोड़–फोड़ नहीं किया था और न नुकसान किया था।

21. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी अरविन्द कुमार (पी०डब्लू०–3) ने आगे कथन किया है कि हम लोग उनके घर पर रोते रहे, तब पुलिस आई, थाने पर मेरे पिता जी गये थे, एफ०आई०आर० लिखाने में तहरीर पर क्या लिखा गया, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तहरीर में क्या–क्या लिखा गया और कौन–कौन सी मांग की गई, मुझे जानकारी नहीं है। तहरीर में क्या लिखा गया, इसकी जानकारी मेरे पिता जी को है। एफ०आई०आर० किस तारीख व दिन महीना में लिखा गया, मुझे याद नहीं है। मुझे ध्यान नहीं है कि किस तारीख को मरी थी। जब पुलिस आई थी तब इनके घर वाले आये थे, घर वाले जब आये तब वे रो रहे थे कि नहीं मै नहीं देखा। पुलिस वाले जब आये थे, लक्ष्मी प्रसाद व ज्ञानू व विनोद आदि थे, उनकी बहू व औरतें रो रहे थे कि हंस रहे थे, मुझे नहीं मालूम है। लाश के पास पुलिस आई थी, तब महिला सिपाही भी आई थी, महिला सिपाही ने शरीर में आई चोटों को देखा था, महिला आरक्षी ने जो बयान चोट के बारे में दिया कि चोट नहीं आई है, उसके बारे में मै नहीं बता सकता हूँ। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लिखा, पंचनामा के बारे में मै जानता हूँ। पाँच लोग हस्ताक्षर किये थे, पंचनामा में किन–किन लोगों ने हस्ताक्षर किया, मुझे याद नहीं है। सफेद कपड़े में सील मुहर लाश को किया, लाश को किस पर लाद कर ले

गये मुझे नहीं मालूम है। सील मुहर के समय मैं मौजूद था। लाश के साथ मेरे पिता जी गये थे और कौन गया, मुझे नहीं मालूम है। जितने लोग गये थे, वे सब लोग चले आये थे।

22. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी अरविन्द कुमार (पी०डब्लू०–3) ने आगे कथन किया है कि जिस गाँव में मेरी बहन की शादी हुई थी, उसी के पट्टीदारी में मेरे पट्टीदार की लड़की की शादी हुई थी, उसी लड़की ने शादी कराया था। वह लड़की जिन्होने मेरी बहन की शादी कराई थी, वह मेरे चाचा की लड़की थी। मेरी बहन उनके घर नहीं आती–जाती थी, कोई दुश्मनी नहीं था, वैसे नहीं आती–जाती थी। लड़की देखने आये थे, लड़की देखने के समय कौन–कौन सामान लाये थे, मुझे नहीं मालूम है, क्या सामान लाये थे, मुझे नहीं मालूम है। मुझे बरीक्षा में मेरे परिवार के लोग मेरे घर के मम्मी–पापा, चाचा–चाची गये थे। अपने यथासम्भव नास्ता पानी कराया, खाना खिलाए थे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। जहां वरीक्षा हो रही थी, वहां पर मैं मौजूद नहीं था। उस समय मै नौकरी करने नहीं गया था, उस समय दान–दहेज की बात नहीं हुई थी। यह ध्यान नहीं है कि हम लोग कितने लोग बरीक्षा में गये थे, वरीक्षा में हम गये थे, बरीक्षा में मेरी उम्र क्या थी मुझे नहीं मालूम है। बरीक्षा में जेन्टस लोग गये थे, बोल–चाल भी अंग्रेजी जानता हूॅ। बरीक्षा के समय मेरे घर के लोग और मेरी लड़की के ससुराल वाले मौजूद थे, फल वगैरह ले गये थे। केला, सेब, सन्तरा, अनार लेकर गये थे। कपड़ा नहीं ले गये, नकद कितना दिये थे मुझे नहीं मालूम है। जब मै वरीक्षा करने गया था, तब वहां पर तिलक के दान–दहेज के बारे में नहीं बताया था। मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूँ, मै अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। शादी में कोई वाद–विवाद नहीं हुआ था। शादी में दान दहेज की मांग नहीं हुई थी, शादी में विदाई के समय कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ। लक्ष्मी प्रसाद ने कोई दान दहेज नहीं मांगा। उस समय इसलिये कोई बात नहीं हुई, शादी में दिये दान दहेज से लक्ष्मी प्रसाद खुश थे।

23. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी अरविन्द कुमार (पी०डब्लू०–3) ने आगे कथन किया है कि ज्ञानू के मोबाइल का सिम आज भी मेरे घर पर चल रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ज्ञानू अपनी पत्नी को लेकर ससुराल कई बार आए गये थे। शादी के पहले ज्ञानू मेरे बहिन को लखनऊ टहलाने नहीं ले जाते थे। मृत्यु के एक दिन पहले मेरे परिवार में शादी थी, शादी में लक्ष्मी प्रसाद व ज्ञानू को न्योता दिया था। ज्ञानू ने अपनी पत्नी से न्योता में एक दिन बाद जाने के लिये कहा हो, यह मुझे नहीं मालूम है। ज्ञानू अपनी पत्नी को प्यार मोहब्बत करते थे यह मुझे नहीं मालूम है। शादी में ज्ञानू अपनी पत्नी को नहीं ले जाने के लिये कहा, इससे उसने फांसी लगा लिया, यह बात गलत है। मेरी बहिन शादी के पहले ज्ञानू को नहीं जानती पहचानती थी। ज्ञानू के घर के बगल में मेरी बहिन आती–जाती नहीं थी, मेरी बहिन ने मुझसे गिला, शिकवा–शिकायत किया था, वह मोबाइल नम्बर नहीं पता है। यह कहना गलत है कि मेरी बहन को शादी में नहीं ले गया तो उसने आत्म हत्या कर लिया हो। यह कहना गलत है कि मेरी बहिन ने आत्महत्या दान दहेज की मॉग को लेकर न की हो। यह कहना गलत है कि शादी में दिये दान दहेज से सब सन्तुष्ट थे। यह कहना गलत है कि मेरी बहन ने स्वयं आत्महत्या किया हो। यह कहना गलत है कि मेरी बहन को किसी ने मारा पीटा न हो, न तंग किया हो। यह कहना गलत है कि मेरी बहन ज्ञानू से प्यार करती थी तथा शादी में दान–दहेज न दिया गया हो। यह कहना गलत है कि मेरी बहन को विदा करते समय लक्ष्मी प्रसाद से मेरे पिता ने रूपया मांगा था। यह कहना गलत है कि मेरी बहन सुन्दर थी, इसलिए ज्ञानू ने प्यार करके शादी किया। यह कहना गलत है कि लक्ष्मी प्रसाद से मेरे पिता हमेशा रूपया मांगा करते थे। यह कहना

गलत है कि मै झूठा बयान दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने मुकदमा में सुलह के लिये पांच लाख रूपया मांगा था एवं रूपया नहीं देने पर सुलह से इंकार कर दिया। यह कहना गलत है कि मेरे पिता जी लालची किश्म के आदमी हों। यह कहना गलत है कि शादी में जितना पैसा खर्च हुआ था, लक्ष्मी प्रसाद ने खर्च किया था।

24– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–4 धर्मपाल (मृतका का चचेरा भाई)** ने सशपथ बयान किया कि मृतका मेरी चचेरी बहन थी। मृतका की शादी आज से लगभग पॉच साल पहले वर्ष 2017 में हुई थी। मृतका की शादी ज्ञानू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद के साथ हुआ था। ज्ञानू मुंशीपुरवा मौजा चौदहा, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा के रहने वाले हैं। मेरी बहन (मृतका) की शादी में मेरे चाचा नान्हू ने अपने सामर्थ के अनुसार दान–दहेज दिया था, लेकिन मेरे जीजा ज्ञानू, मृतका के ससुर लक्ष्मी प्रसाद व जेठ विनोद दहेज में सोने की लर और रूपयों की मांग किया करते थे, लेकिन मेरे चाचा सोने की लर और रूपया देने में असमर्थ थे। जिसके कारण ज्ञानू, लक्ष्मी प्रसाद व विनोद मेरी बहन को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। यह बात जब मृतका मायके आती थी या उसके ससुराल कोई जाता था, तब उससे बतलाती थी। तब हम लोग मृतका को समझाते थे कि वह तुम्हारी ससुराल है, तुमको वही पर रहना है, किसी तरीके से अपना जीवन निर्वहन करों। आज से लगभग तीन साल पहले मेरे चाचा नान्हू के पास किसी ने सूचना दी, आपकी लड़की की मृत्यु हो गई है। तब मै भी अपने चाचा के साथ मृतका की ससुराल गया था, तो देखा कि मेरी चचेरी बहन (मृतका) की लाश उसके कमरे में बेड के नीचे पड़ी हुई थी, तब हम लोगो ने गांव वालों की मदद से मृतका की लाश को बेड के नीचे से बाहर निकाला। मेरे चाचा ने इस बात की सूचना स्थानीय थाना कटरा बाजार में दिया था, तब पुलिस आई थी और मेरी बहन (मृतका) की लाश का पंचनामा किया था और लाश चीर घर लेकर गये थे। पुलिस ने मेरा बयान लिया था, उन्हें भी मैने यही बातें बताई थी।

25. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी धर्मपाल (पी०डब्लू०–4) ने कथन किया है कि मेरा नाम धर्मपाल है, नान्हू हमारे चाचा लगते है। मै बेहता गांव का रहने वाला हूँ। मेरा गवाही ने का फर्ज है, इसलिये मै गवाही देने आया हूॅ। मृतका की शादी ज्ञानू के साथ हुई थी, सन याद नहीं है, दिन तारीख भी याद नहीं है। ज्ञानू का घर मुंशीपुरवा, थाना कटरा बाजार जिला गोण्डा में पडता है। शादी के पहले बरछा हुआ था। शादी में बरछा करने लड़की वाले गये थे, परन्तु मैं नहीं गया था, कितने लोग गये थे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जो सामान ले गये थे, उसे मैंने अपने ऑखो से नहीं देखा था। नान्हू हमारे सगे चाचा लगते हैं, मेरे पिता राम सहाय व नान्हू सगे भाई हैं। नान्हू के दो बेटिया थी और दो बेटे थे। नान्हू की बड़ी लड़की का गीता नाम है, छोटी लड़की का नाम बुधना है। मृतका की शादी जहां हुई, वहां मेरी पहले से रिश्तेदारी है, कौन सी रिश्तेदारी है वो मुझे जानकारी नहीं है। मृतका कभी रिश्तेदारी में आती–जाती थी, यह जानकारी मुझे नहीं है। शादी से पहले ज्ञानू मृतका के यहां नहीं आते थे, शादी के बाद आते–जाते थे। जब ज्ञानू आते थे तब कभी खबर होती थी। मै घर पर रहता हूॅ, मेरा नान्हू व चाचा के घर से मिला हुआ है। दरवाजा अलग–अलग है, बुधना की शादी किसने कराया, वह मुझे नहीं पता है। शादी में तिलक चढ़ाने मैं गया था। शादी में एक चारपहिया व कई माटर साइकिल गई थी। छः–आठ मोटर साइकिल गई थी। तिलक में थाली–चावल, अछत, कपड़ा, फल–फूल आदि दिया गया था। थाल में कितना रूपया रखा गया था, वो मै देखा नहीं, तिलक चढ़ाने में कोई वाद–विवाद नहीं हुआ था, दहेज की मांग मेरे सामने नहीं हुई थी। मैं दो

घन्टा रूक कर चला आया था। उस दौरान किसी प्रकार का दान दहेज लेकर कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था। शादी देखने मैं नहीं गया था, इसलिये शादी क्या लेन–देन तय हुआ, वो मैं नहीं बता सकता। बरात किस तिथि को आई, मुझे जानकारी नहीं है।

26. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी धर्मपाल (पी०डब्लू०–4) ने आगे कथन किया है कि तीनो भाई का बंटवारा हो गया, इसलिये अब पड़ोसी के समान है। हम लोगो में आपस में बंटवारा को लेकर कोई वाद–विवाद नहीं है। लक्ष्मी प्रसाद के कितने लड़के थे, मुझे जानकारी नहीं है। नान्हू ने किस लड़के की शादी की थी, वो मुझे जानकारी नहीं है। मृतका को कोई मनोरोग की बीमारी नहीं थी, तिलक के बाद जब मृतका मरी तब मै गया था, शादी में कितने बराती आये थे, मुझे जानकारी नहीं है। शादी में दान दहेज को लेकर कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था, शादी में ही विदाई हुई थी। दहेड़ी का सामान कौन लेकर गया था, वह मुझे जानकारी नहीं है। मृतका जब घर आती थी, उसने मुझे नहीं बताया था। मृतका ने अपने बाप से कहा था। जब मैं उनके घर पहुंचा तो कोई नहीं मिला। मैंने जो बयान पहले दिया था, वही बयान आज दे रहा हूँ। पंचनामा बनते समय दरोगा साहब ने मेरा बयान लिया था। पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किया था। जब हम लोग पहुंचे तो मृतका की लाश बेड़ के नीचे पड़ी थी। दरोगा जी ने बयान लियाा था, वह मुझको पढ़ कर नहीं सुनाया था। उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। लाश को देख कर मै रो रहा था। पुलिस आ गई, पुलिस को सूचना कौन दिया, मालूम नहीं है। पुलिस आने के बाद ज्ञानू पहुॅचे थे। उनके माता पिता पंचायतनामा के दौरान नहीं आये थे। लड़की के मरने की सूचना गांव का कोई हमदर्द दिया था। सूचना फोन से शायद आया था। ज्ञानू के आने के बाद पुलिस वालों ने लाश को कपड़े में लपेट कर चीर घर ले गये। मै चीर घर नहीं गया था, मृतका जब घर पर लेटी थी या मरी पड़ी थी तो कपड़ फटा था या नहीं मालूम नहीं है। मै लाश दरवाजे पर आने के बाद रोया था। उस समय गांव के काफी लोग आ गये थे। मै दाह–संस्कार में नहीं गया था। कौन दाह दिया मुझे नहीं पता है। कहां दाह संस्कार हुआ, मुझे नहीं याद है। यह कहना गलत है कि मुझे शादी में दान दहेज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ज्ञानू ने दाह दिया व तेरहवी का पूरा संस्कार किया था। मै दान दहेज के समय उपस्थित नहीं था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। यह कहना गलत है कि लड़की के साथ दान दहेज की मॉग नहीं हुई हो तथा लड़की ने मानसिक अवशाद में आत्म हत्या कर लिया हो।

27– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–5 पप्पू मिश्रा उर्फ संजय मिश्रा (मृतका की शादी कराने वाले पंडित)** ने सशपथ बयान किया कि मुझे कहना है कि जिस मुकदमें में मै आज बयान देने आया हूॅ, उसमें मेरे जजिमान नान्हू पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम बेहटा थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी की पुत्री की मृत्यु दान दहेज को लेकर हो गई थी। मैने मृतका की शादी में तेल पूजन का काम दिनांक–04.06.2017 और दूसरे दिन दिनांक–05.06.2017 को शुभ विवाह सम्पन्न कराया था। बारात मृतका की शादी में आई थी, स्कूल के बगल पटान पर बारात रूकी हुई थी। जो ग्राम बेहटा में है और साथ नाऊ के रूप में रामू जो ग्राम अररौलिया थाना करनैलगंज का रहने वाला था, जिसकी आज से लगभग डेढ़–दो साल पहले मृत्यु हो गई है। शादी के बाद मैंने दोनो पक्षों को आशीर्वाद देते हुए मैं दूसरी जगह शादी समारोह में जाना था, मै वहां चला गया। बाद में जब पुलिस वाले ने मेरा बयान लिया था, उनको यही सारी बातें बतायीं थी।

28. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर सा**क्षी पप्पू उर्फ संजय मिश्रा** (पी०डब्लू०–5) ने कथन किया है कि मेरा नाम पप्पू मिश्रा उर्फ संजय मिश्रा है। मेरा बयान दरोगा जी ने नहीं लिया था। जो बयान केस डायरी में लिखा गया है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यह बयान जो लिखवाया गया है, मैं शादी के बारे में जानता हूँ, मृत्यु के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जब लड़की की मौत हुई थी, मौत पर ज्ञानू (लक्ष्मी प्रसाद) के दरवाजे पर नहीं गया था। जो बयान केस डायरी में दर्शाया गया, वह पी०डब्लू० 5 के रूप में लिखा गया, वह फर्जी है। मै तिलक में भी था, तिलक में फल–फूल के अलावा केवल अछत था। तिलक किस तारीख को चढ़ी थी, मुझे मालूम नहीं है। तिलक में किसी प्रकार दान–दहेज को लेकर कोई वाद–विवाद नहीं हुआ था। दिनांक 05.06.2017 को मैं शादी कराया था। शादी में किसी प्रकार का वाद–विवाद नहीं हुआ था। विदाई के समय मैं मौजूद नहीं था, केवल शादी करा कर चला गया था। रामू नाम का नाऊ था, उसकी मौत एक दो साल पहले हुई है। चूंकि शादी और तिलक में किसी प्रकार का विवाद दान–दहेज को लेकर नहीं हुआ था। बारात में लगभग डेढ़–दो सौ बाराती गये थे। घराती व बराती में किसी प्रकार का लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था और किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था। मेरा काम केवल शादी कराना था, जो मै राजी–खुशी से सम्पन्न कराया था। शादी में तथा तिलक में तथा दोनों समारोह में मैं मौजूद था। मेरे ही मंत्रों द्वारा शादी का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ था। लेकिन दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। दरोगा जी ने केस डायरी में क्या लिखा था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

29– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–6 राजू (मृतका का चचेरा भाई)** ने सशपथ बयान किया कि मृतका मेरे बड़े पिता जी की लड़की थी। मृतका की शादी चार–पाँच साल पहले हुई थी। मृतका की शादी ज्ञानू के साथ हुई थी। ज्ञानू के पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद ग्राम मुंशीपुरवा मौजा चौदहा मरकहा थाना कटरा बाजार जिला गोण्डा है। शादी में अपने सामर्थ के अनुसार मेरी बडे दादा जी दान दहेज दिया था। मेरी बहन की विदाई जब हुई थी, सोने की जंजीर व कुछ और पैसा की मांग कर रहे थे। ज्ञानू व लक्ष्मी प्रसाद व भाई विनोद व ज्ञानू की बहन भी मांगती थी। मेरे दादा के पास क्षमता नहीं था, कि दे दे। यही बात के लिये मारते पीटते थे और प्रताड़ित करते थे। मेरी बहन (मृतका) जब कोई उसके ससुराल जाता था, तब मुझसे व मेरे दादा व बड़ी माता व पूरे परिवार में बताती थी, तब हम लोग उसके ससुराल गये थे और परिवार वालों को समझाया–बुझाया था कि हम लोग गरीब आदमी हैं, दान–दहेज नहीं दे पाऊंगा, और अपनी बहन को समझाया था कि यही तुम्हारा घर है, यही पर तुम्हें रहना है, किसी तरह मिल–जुलकर इनके साथ रहो। आज से पहले कितने पहले मरी थी, इस समय याद नहीं है। दिनांक–30.04.2019 को मेरी बहन की मृत्यु की सूचना मिली थी। मेरी बहन की मृत्यु भी सूचना सुबह मिली थी। मेरी बहना की मृत्यु की सूचना सुबह मिली थी। हम लोग उसके ससुराल गये और लाश को बेड़ के पास कमरे में मिला था। हम लोगों ने उठा कर मुंह धोया तो मेरी बहन मरी पड़ी थी। तब वहां के पुलिस लोग आये थे तब उन लोगों ने हमारे सामने लाश का पंचनामा किया और पंचनामा कागज पर मेरा अंगूठा लगवाया था और लाश के साथ हम लोग चीरघर गये थे। पंचायतनामा प्रपत्र पर अपने अंगूठा को देख कर तस्दीक किया कि मेरा अंगूठा लगा हुआ है। पंचायतनामा पत्रावली में कागज सं०–5/19 व 5/20 लगा हुआ है, जिसपर मेरा अंगूठा लगा है। लाश चीरघर से मिली थी। दाह संस्कार हम लोगों ने किया था। पुलिस ने मेरा बयान लिया था, जैसा हुआ था वैसा मैंने बताया था।

30. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी राजू (पी०डब्लू०–6) ने कथन किया है कि मृतका मेरे चाचा की लड़की है, मेरा आंगन व मेरे चाचा का आंगन एक ही है। मेरे दरवाजे का मुंह उत्तर तरफ और चाचा का दरवाजा दक्षिण तरफ है। मेरी सगी बहन की शादी ज्ञानू के गांव में हुई है, मुझे यह ध्यान नहीं है कि ज्ञानू का घर मेरी बहन के घर से कितना दूर है। मृतका बीमार नहीं रहती थी। हाइपर टेंशन में नहीं रहती थी। ज्ञानू की शादी तय कराने में मैं मौजूद था। शादी मेरी बहिन ने मेरे दादा को बताया था कि मृतका की शादी ज्ञानू से कर सकते हैं। मृतका के पिता का घर व मेरा घर अगल–बगल में है। शादी की तारीख ध्यान नहीं है। कितने साल पहले शादी हुई थी तो गवाह ने कहा 4–5 साल पहले हुई थी। मेरी दो बहने हैं, मै अकेला हूँ। तिलक में पैसा व फल दिया गया, नोट 500 व 2000 का था, ध्यान नहीं है। मेरा स्वास्थ खराब नहीं है। मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हूँ। तिलक में नगद कितना गया था, ध्यान नहीं है, तिलक में 12–13 आदमी गये थे, तिलक में किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। तिलक में लक्ष्मी प्रसाद अलग से कुछ नहीं मांगे, तिलक में उतना नहीं मांगे थे। शादी चार तारीख छइवां महीना में हुआ था, वर्ष 2019 फिर 2017 को कहा। शादी में गर्मी का समय था कि सर्दी, ध्यान नहीं है। बरात में कितने आदमी आये, ध्यान नहीं है। बरात में लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था, मैं बारात में मौजूद था। द्वारपूजा किस दिशा में हुआ था, ध्यान नहीं है, नाऊ, पण्डित थे। उनके पण्डित नहीं थे, हमारे पण्डित थे। बारात में बेड़, आलमारी आदि सामान दिया था। मृतका के घर मेरी बहिन आती–जाती थी। कभी शिकायत करती थी, मृतका ने बताया, फिर बहिन ने भी बताया था। थाना पुलिस में शिकायत नहीं किया, पंचायत नहीं हुई थी, समझाया बुझाया गया था। मृतका मेरे घर आती रहती थी। मृतका कितनी बार आयी गिना नहीं था। शादी के बाद तंग शिकायत की बात मृतका बताती थी। यह कहना गलत है कि मृतका ज्ञानू से प्यार करती थी, क्योंकि ज्ञानू मृतका के घर आया जाया करते थे। शादी के पहले नहीं आते–जाते थे। यह कहना गलत है कि मृतका ज्ञानू से प्यार करती थी, इसलिये बिना पैसा के शादी हुआ हो। शादी में मोटरसाइकिल नहीं दिया था, गहना कितना ग्राम दिया गया, याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मृतका के पिता के कहने पर झूठी गवाही दे रहा हूँ। दरोगा जी मेरा बयान लिए थे, दरोगा जी कब बयान लिय थे, याद नहीं है। मृत्यु की सूचना का फोन मेरे मोबाइल पर आया था, किसने फोन किया याद नहीं है। कितना बजे हम चले, यह याद नहीं है। दोपहर में सूचना पाने पर चारपहिया गाड़ी से गया था। फिर कहा हम मोटरसाइकिल से गये थे। हम मोटरसाइकिल चला रहे थे, मेरे भाई धर्मपाल बैठे थे। मेरे दादा के लड़के हैं, जब मै पहुंचा तो आगे पहुंच चुके थे। जब हम मोटरसाइकिल से पहुंचे तो वहां पर लक्ष्मी प्रसाद उपस्थित थे, पूरा परिवार नहीं था। घर की औरतें नहीं थी। लाश कमरे में बेड़ के बगल में रखी थी, लाश पर कपड़ा फटा था कि नहीं ध्यान नहीं है। शरीर में कितनी चोटें थी गिना नहीं था, गले में चोट थी।

31. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी राजू (पी०डब्लू०–6) ने आगे कथन किया है कि पंचायतनामा पर अंगूठा लगाया है, शादी–विवाह, तिलक सभी में मैं था। सगी बहन का नाम इस समय याद नहीं है। एक बीघा में 20 बिस्वा होता है। यह कहना गलत है कि मै न्यायालय पर झूठी गवाही दे रहा हूँ। मृतका के घर से मेरी बहिन का घर थोड़ी दूरी है। बहिन की शादी कर दिये, वह अपने घर रहती है। मेरी बहिन बुधना के घर आती–जाती नहीं थी, फिर कहा कभी–कभी आती–जाती थी। आने–जाने पर दुख–सुख बताती थी, अपनी समस्या बताती थी, लेकिन मैं थाने पर शिकायत नहीं किया। हम

लोग समझा बुझा कर भेज दिया था, पंचायत नहीं हुई थी। जब मृतका मरी तो टेलीफोन आया, लेकिन करने वाले का नाम याद नहीं है। जब टेलीफोन आया तो मैं पहले दादा को बताया, फिर बाकी लोगों को बताया था। मुझे सूचना मिली तो तुरन्त मैं चल दिया, मै बाइक से गया, फिर बोलेरो से लोग गये थे। जब पहुंचा तो वहां ज्ञानू, विनोद व लक्ष्मी प्रसाद कोई मौजूद नहीं था। घर की औरतें तक नहीं थी, केवल बच्चे कुछ रहे। दरवाजा खुला था, लाश बरामदे में रूम में बेड़ के बगल में रखी थी। जब मैं पहुंचा तो लाश उलट–पुलट कर देखा था। फिर कहा निकाल कर मुह धोया तो उसे होश नहीं आया। मैं थाने पर 3–4 लोगों के साथ गया था। तहरीर पढ़कर सुनाया था, ध्यान नहीं है। तहरीर में क्या था, हमें ध्यान नहीं है। मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूँ। तहरीर पढ़ने व सुनने के समय मैं थाने से बाहर था। तहरीर मैने लिखवाया था, मुझे जानकारी नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने थाने में अंगूठा नहीं लगाया था। तहरीर पर नहीं लगाया। अंगूठा लाश के पी०एम० वाले कागज पर लगाया था। थाने में कागज देकर मैं लाश के पास गया तो पुलिस भी पहुंची थी, तब लाश के पास विनोद, लक्ष्मी को नहीं देखा। मैं औरतो को नहीं पहचानता हूँ, गांव की औरतें थी, अगर लक्ष्मी प्रसाद की औरत हो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जब पुलिस पहुँची तो अंधेरा हो गया था, मैं देख नहीं पाया था। यह कहना गलत है कि मानसिक अवशाद में होने के कारण मैं गलत गवाही दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैं शादी, तिलक व बरछकाई में न रहा हूँ, इसलिये सही बात न जानता हूँ। यह कहना गलत है कि शादी, तिलक में कितना दान दहेज, का हुआ हो, क्योंकि दोनो आपस में प्यार करते थे।

32. अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–7 डॉक्टर दीपक कुमार (पोस्टमार्टम कर्ता)** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक–01.05.2019 को जिला चिकित्सालय गोण्डा में परामर्शदाता के पद पर मैं तैनात था। उस दिन हमारी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु लगाई गयी थी। दिनांक–01.05.2019 को 02:10 पर मेरे द्वारा शव मृतका पत्नी ज्ञानू पुत्री ननकऊ निवासिनी बेहटा थाना दरियाबाद, जिला बाराबंकी उम्र करीब 19 साल जिसे कांस्टेबल संजय कुमार थाना कटरा बाजार द्वारा लाया गया था, जिसकी शिनाख्त उसके पिता जी द्वारा किया गया था, के शव का विच्छेदन मेरे उपस्थिति में किया गया। शव का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था एवं आख्या संख्या–294/2019 मेरे द्वारा तैयार किया गया है। उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आई थीः–

शव की ऊँचाई 148 सेंटीमीटर मध्यम औसत कद काठी शरीर पर ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट, एक नथिया, एक मोती माला, एक जोड़ी पायल, चार बिछिया व चूड़ियां मौजूद थी। मृत्यु पश्चात अकड़न दोनो हाथ, दोनो पैर में मौजूद थे, शरीर पर पीछे की ओर मरणोपरांत धब्बे (Postmorterm Staining) जगह–जगह मौजूद था, आंख और मुंह बन्द थे। दांत 15/16 मौजूद थे। गले पर फंदे का निशान 25x1 सेंटीमीटर तथा गले पर चारों ओर, जिसमे बायीं ओर 4 सेंटीमीटर का गैप था, बायें कान से 3 सेंटीमीटर नीचे, दाढ़ी से 5 सेंटीमीटर नीचे और दाहिने कान से 6 सेंटीमीटर नीचे फंदे के निशान की सतह Pale, Hard, Leathery and Parchment जैसी थी। बेस को काटने पर subcutarious tissue सूखी हुयी सफेद एवं चमकदार थी।

<u>आन्तरिक परीक्षणः–</u>

मस्तिष्क की झिल्लियां कन्जेस्टेड। मस्तिष्क 1100 ग्राम कन्जेस्टेड। मुख, जीभ, ग्रसनी, कण्ठ नली, स्वर ग्रन्थियां कन्जेस्टेड। हायड बोन इन्टैक्ट। फेफड़ा 700 ग्राम कन्जेस्टेड। हृदय दाहिनी तथा बायीं ओर भरा हुआ था। आमाशय 50 ग्राम तरल पदार्थ। यकृत, लीवर, प्लीहा 110 ग्राम कन्जेस्टेड। गुर्दा 240 ग्राम कन्जेस्टेड। मृतका गर्भवती नहीं थी। मृत्यु का सम्भावित समय करीब एक दिन पूर्व, मृत्यु का

कारण स्वास अवरोध जो मृत्यु पूर्व लटकने से आई थी। मृत्यु एक दिन पूर्व की है। शव विच्छेदन आख्या पत्रावली में कागज संख्या–5/31 व 5/32 के रूप में मौजूद है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में मौजूद है, जिसे मैं अपने लेख व हस्ताक्षर में द्वारा तैयार किये जाने की पुष्टि करता हूँ, इस पर मेरा हस्ताक्षर बना है, मैं अपने हस्ताक्षर को तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। विवेचक ने मुझसे पूछताछ किया था, उन्हे भी सारी बातें बताई थी।

33. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी डॉक्टर दीपक कुमार (पी०डब्लू०–7) ने यह कथन किया है कि दिनांक–01.05.2019 को समय 2:10pm पर मेरे द्वारा मृतका पत्नी ज्ञानू पुत्री ननकऊ निवासिनी बेहटा थाना दरियाबाद जिला बाराबंकी उम्र करीब 19 वर्ष का मैंने शव विच्छेदन किया था। लाश के अन्दर जब लाश को निकाला गया तो उसमे कपडे इन्टैक्ट या फटे हुए नहीं थे। शरीर में किसी प्रकार का गले के अलावा किसी भी अंग में शरीर का चोट नहीं था। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था। शरीर में एक जोडी पायल, चार बिछिया, चूंड़ियाँ, ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट व नथुनी पहने हुई थी। इस परिस्थिति को देखते हुए मेरी राय यह है कि उसे मार पीट किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया। शरीर में 6 से 12 घन्टे में अकड़न आना शुरू होता है। करीब 12 घन्टा मौजूद रहता है, उसके बाद 12 घन्टे में अगले खत्म हो जाता है। वातावरण तापमान के अनुसार कुछ भिन्नता हो सकती है। गले में फंदे का निशान चारों तरफ था, जिसमें बायीं ओर 4 सेंटीमीटर का गैप था। गले के निशान के बारे में मेरी कोई राय नहीं है कि उसे किसी ने लटकाया था या खुद लटक गई थी। आन्तरिक परीक्षण में शरीर के अंगो जैसे फेफड़ा, यकृत, लीवर, प्लीहा, गुर्दा, मस्तिष्क कन्जेस्टेड थे, जिसके आधार पर मृत्यु का कारण श्वास अवरोध होता है। हायड बोन पर अगर चोट व दबाव पड़े तो वह टूट सकता है, लेकिन मृतका के गले पर फंदे का निशान ऊपरी भाग पर था, जिससे हायड बोन पर दबाव नहीं पड़ा, इसलिये टूटा नहीं था। हायड बोन इसलिये नहीं टूटा था कि उसका शरीर फनदे से लटका हुआ था और फंदा गले के ऊपरी भाग में मतलब जहां हायड बोन होता है, उसके ऊपर था। यह कहना सही है कि मृतका के शरीर पर फनदे के निशान के अलावा अन्य कोई चोट के निशान नहीं था। मतलब उसके साथ कोई मार–पीट नहीं की गई थी।

34– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–8 अपर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार दूबे (विवेचक)** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक–30.04.2019 केा मै सी०ओ० करनैलगंज के पद पर नियुक्त था, जो थाना कटरा बाजार गोण्डा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या– 104/2019 धारा–498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण कर उसी दिन प्रदत्त सी०डी०–1 किता किया, जिसमें नकल एफ०आई०आर०, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक अंकित किया एवं बयान वादी मुकदमा का प्रयास किया, जो बयान देने में असमर्थता व्यक्त किया। दिनांक–03.05.2019 को सी०डी०–2 किता किया, जिसमें बयान वादी मुकदमा अंकित करते हुए उसकी निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए नक्शा–नजरी तैयार किया था, जो संलग्न पत्रावली कागज सं०–5/10 पर है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। दिनांक–04.05.2019 को सी०डी०–3 किता किया गया, जो गिरफतारी अभियुक्त ज्ञानू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद के बयानात आदि विषयक है। दिनांक–26.05.2019 को सी०डी०–4 में बयान स्वतन्त्र साक्षी मृतका का भाई अरविन्द कुमार अंकित किया गया एवं गिरफतार अभियुक्त विनोद कुमार एवं लक्ष्मी प्रसाद के बयानात अंकित किये गये हैं।

दिनांक–27.05.2019 को सी०डी०–5 में अवलोकन पंचनामा मृतका, अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट करते हुए बयान नायब तहसील मजिस्ट्रेट शिव दयाल तिवारी, बयान वरिष्ठ उपनिरीक्षक गोरखनाथ सरोज, पोस्टमार्टम कराने वाले आरक्षी संजय कुमार व करन यादव के बयान अंकित किये गये। दिनांक 31.05.2019 को सी०डी०–6 में अभियुक्तगण के रिमाण्ड का तथ्य अंकित कर माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया है। दिनांक–03.06.2019 को सी०डी०–7 में बयान स्वतन्त्र साक्षी मृतका की माँ शिवकुमारी अंकित किया गया एवं इनसे प्राप्त मृतका के शादी का कार्ड आदि प्रपत्र एवं अभिलेख प्राप्त कर तथ्य अंकित किया गया एवं प्रपत्रों को संलग्न सी०डी० किया गया, जो पत्रावली पर कागज सं०–5/35 लागयत 5/39 संलग्न है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ एवं महिला आरक्षी सोनी यादव के बयान अंकित किये गये, इसी पर्चे में स्वतन्त्र साक्षी धर्मपाल के बयान अंकित किये गये। दिनांक–12.06.2019 को सी०डी०–8 किता किया गया, जिसमें बयान गवाह पंचायतनामा राजू, लल्लन मिश्रा व राम विलास के बयान अंकित किये गये। दिनांक–14.06.2019 को सी०डी०–9 में शादी कराने वाले पण्डित श्री पप्पू मिश्रा के बयान अंकित किये गये हैं, जिन्होने अपने बयान में बताया कि इनके साथ नाई का काम रामू पत्र बहादुर ने किया था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा बयान मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर दीपक कुमार का बयान अंकित किया गया था एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण ज्ञानू, लक्ष्मी प्रसाद व विनोद के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का साक्ष्य बखूबी साबित होने पर जरिये आरोप पत्र विवेचना समाप्त की गई एवं कम्प्यूटराइज्ड आरोप पत्र किता किया गया, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसको मैं तस्दीक करता हूँ, पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–5/1 लगायत 5/4 है, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

35. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी अपर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार दूबे (पी०डब्लू०–8) ने कथन किया है कि घटना के समय मै सी०ओ० करनैलगंज के पद पर तैनात था। सी०डी०–1 में नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक व वादी का बयान हेतु प्रयास किया। घटना स्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक–03.05.2019 को किया गया है। नक्शा–नजरी अपने निर्देशन में तैयार करा कर अपना हस्ताक्षर बनाया था। नक्शा–नजरी में दर्शित ए से उस कमरे का अंकन किया गया है, जहाँ घटना घटित हुई थी। इस समय याद नहीं है कि घटनास्थल पर मकान में कितने कमरे थे। मकान गांव के अन्दर खडंजा व पतली डामर रोड़ के किनारे स्थित है। मकान के आस पास कुछ लोगों के मकान थे, जिसका अंकन नक्शा–नजरी में किया गया है। वादी मुकदमा की निशादेही पर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। जिस समय मैं नक्शा–नजरी तैयार करवा रहा था, उस समय वादी मुकदमा मेरे साथ मौजूद था। वादी मुकदमा ने अपने बयान में अभियुक्तगण द्वारा सोने की लर व रूपये की मांग करने का बयान किया था, साथ ही दहेज के लिय अपनी लड़की को मारने–पीटने के सम्बन्ध में बयान दिया था। वादी द्वारा पूर्व में किसी प्रार्थना पत्र अपनी लड़की को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की थी, न ही किसी प्रार्थना पत्र के बारे में बताया था। गिरफतारी के बाद मैने अभियुक्तगण का बयान लिया था। बयान में अभियुक्तगण द्वारा जुर्म से इंकार करते हुये अपनी सफाई न्यायालय में देने को कहा। स्वतन्त्र साक्षीगण के बयान अंकित कर प्रगति पर्चों के माध्यम से माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। पंचायतनामा का अवलोकन किया गया एवं अवलोकन करके उसकी अंकना की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में

तथ्य मृत्यु का कारण सी०डी० मे अंकित किया गया था। पंचायतनामा की कार्यवाही मजिस्ट्रेट द्वारा की गई थी, जिसमें राय पंचान के अलावा पंचायतनामा लेखक की राय अंकित की गई थी, जिसके अवलोकन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी मेरे द्वारा अवलोकन किया गया, जिसमें मृत्यु का कारण Asphyxia due to Antemortem hanging आया था, जिस पर टिप्पणी पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर का बयान लेना समाचीन हुआ। डॉक्टर ने अपने बयान में मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने की पुष्टि की है एवं मृत्यु का कारण Asphyxia due to Antemortem hanging बताया। पर्चा सी०डी०–6 में अभियुक्त का रिमाण्ड लेना अंकित है। विवेचना के दौरान मैंने स्वतन्त्र साक्षी मृतका की माँ शिवकुमारी का बयान लिया, जिसने बताया कि शादी के दौरान दहेज के बावत कोई विवाद नहीं हुआ था, लेकिन प्रताड़ित किये जाने की बात बताई थी। उनके द्वारा मुझे यह नहीं बताया गया कि प्रताड़ित के बावत थाना, न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। पंचायतनामा गवाह के द्वारा दिये बयानात अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रताड़ित किये जाने एवं अपराध किये जाने की घटना इनके परिवार में हुई है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा आफिस में बैठ कर सारी विवेचना की गई है। यह कहना गलत है कि मैंने किसी के प्रभाव में आकर गलत विवेचना की है। यह कहना गलत है कि मृतका द्वारा स्वतः आत्महत्या की गई है।

36– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–9 नायब तहसीलदार शिवदयाल तिवारी (पंचायतनामा कर्ता)** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक–30.04.2019 को मैं थाना कटरा बाजार तहसील करनैलगंज पर नायब तहसीलदार के पद पर तैनात था। उपजिलाधिकारी करनैलगंज के आदेश पर ग्राम मुंशीपुरवा मौजा चौदहा थाना कटरा बाजार में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मै उक्त सूचना पर पहुँचा, तो देखा कि महिला की लाश छप्पर के सामने आंगन में पड़ी थी। जहाँ पर पहले से ही स्थानीय पुलिस मौजूद थी। मौके पर काफी भीड़ थी। महिला कांस्टेबल सोनी यादव मौके पर मौजूद थी। मौके पर उपस्थित भीड़ में से पांच लोगों को 1–नान्हू, 2–राजू, 3–अरविन्द, 4–लल्लन मिश्रा एवं 5–राम विलास आदि को पंचान नियुक्त करके पंचायतनामें की कार्यवाही की गई। शव का हुलिया रंग गेहुआ, इकहरा मजबूत जिस्म, कान–नाक कद काठी औसत। महिला सिपाही द्वारा शव पर आयी चोटों के आधार पर बताया कि गले में व दोनो गाल पर, पीठ पर, दोनो पैर के घुटने पर चोट का निशान है। पंचान की राय ली गई, सभी से अलग–अलग बारी– बारी से मृत्यु का कारण पूँछा गया, सभी ने मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं बताया। प्रथम दृष्टया शरीर पर आई चोटों के कारण मृत्यु होना बताया गया। परन्तु सही कारण जानने के लिये सभी ने पोस्टमार्टम कराये जाने की बात कही। मेरी भी राय पंचों की राय से मेल खाती थी, जिसके कारण मैंने भी शव का पोस्टमार्टम कराया जाना उचित प्रतीत होने के कारण शव विच्छेदन की आवश्यक कार्यवाही उपस्थित उपनिरीक्षक को शव को सफेद कपड़े में सील मोहर आदि करने के लिये आवश्यक निर्देष दिये। मेरे सामने शव को सफेद कपड़े में सील मोहर किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक प्रपत्र तैयार किये गये। नमूना मोहर तैयार किया गया। पोस्टमार्टम हेतु शव को पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। पुलिस प्रपत्र में नं० 1– पंचायतनामा, नं0–2 रिपोर्ट आर०ई०, नं०–3 रिपोर्ट सी०एम०ओ०, नं०–4 फोटोनाश, नं०–5 चालान लाश, नं०–6 नकल चिक, नं०–7 नमूना मोहर मेरे द्वारा तैयार कराया गया। पंचायतनामा पत्रावली में कागज सं०–5/19 व 5/20 के रूप में संलग्न है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना हुआ है, मैं अपने हस्ताक्षर व पंचायतनामा प्रपत्र को तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। नमूना मोहर कागज सं०–5/21 जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला

गया, फोटोनाश कागज सं०–5/22 जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया, फार्म 13 कागज सं०–5/23 **प्रदर्श क–8** डाला गया। चिट्ठी आर०आई० कागज सं०–5/24 जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया, चिट्ठी सी०एम०ओ० कागज सं०–5/25 जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गा। सभी प्रपत्र पर मेरे हस्ताक्षर बने हुए हैं, जो मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं। अपने द्वारा तैयार किये पुलिस प्रपत्र को तस्दीक करता हूँ। विवेचक ने बयान लिया था। अपने द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उन्हे बताया था।

37. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी नायब तहसीलदार शिव दयाल तिवारी (पी०डब्लू०–9) ने कथन किया है कि दिनांक–30.04.2019 को मैं थाना कटरा बाजार तहसील करनैलगंज में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात था। मै उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश पर मुंशीपुरवा चौदहा थाना कटरा बाजार गया था। जब मैं मौके पर पहुँचा तब घर के सामने बाहर जमीन पर नीचे कपड़ा बिछाया हुआ था, उस पर लाश रखी थी। जब मैं मौके पर पहुंचा तब लक्ष्मी प्रसाद, ज्ञानू व विनोद मौजूद थे। लाश चद्दर से ढकी हुई नहीं थी, मौके पर पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। महिला आरक्षी ने बताया कि मृतका के गाल पर, गले में, घुटने पर और शरीर पर चोट मौजूद थी। जिस समय मैं पंचायतनामा कर रहा था, उस समय दोनो पक्ष के लोग मौजूद थे। वहाँ पर मैने पूँछ–ताँछ किया और घटना स्थल भी देखा। जिस समय मैंने घटना स्थल को देखा, उस समय दरवाजा खुला हुआ था, कुंडी को मैने नहीं देखा था। जब मैने बारी–बारी से लोगो से पूँछा तब वर पक्ष व कन्या पक्ष किसी ने मृत्यु का स्पष्ट राय नहीं बताया। यह सही है कि मेरी भी राय पंचों की राय से मेल खाती थी। महिला आरक्षी ने शव बपर्दा देखा, चोट के बारे में वही बता सकती है। मैने पंचायतनामा पर किन–किन लोगो का हस्ताक्षर कराया था, नाम याद नहीं है। पंचायतनामा तैयार करने के बाद शव को सील मोहर करके पुलिस की सुपुर्दगी में किया गया। उसके बाद मेरा कार्य समाप्त हो गया था, फिर लौट आया था। जब मैंने घटना स्थल वाला कमरा देखा था, तब उस कमरे में एक बेड़ था, उसके अलावा कुछ नहीं था। लक्ष्मी प्रसाद के मकान में कुल कितने कमरे हैं, मै नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि न तो मै मौके पर गया हूँ और न ही लाश को देखा हूँ, कार्यालय में बैठकर पुलिस वालों के कहने पर पंचायतनामा तैयार किया हो।

38– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–10 उपनिरीक्षक मोहम्मद इस्लाम खान** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक–30.04.2019 को मैं थाना कटरा बाजार में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था, उस दिन वादी मुकदमा नान्हू पुत्र बाबूराम निवासी मौजा बेहटा थाना दरियाबाद, जनपद बाराबंकी द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र जिसपर नान्हू का निशानी अंगूठा लगा हुआ था, के आधार पर मुकदमा अपराध सं०–104/2019 अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता व धार–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम विरूद्ध तीन अभियुक्तगण ज्ञानू, लक्ष्मी प्रसाद व विनोद के विरूद्ध मुकदमा सी०सी०टी०एन०एस० प्रणाली द्वारा मैंने बोल–बोल कर टंकित कराया था जो पत्रावली में कागज सं०–4/1 ता 4/3 के रूप में संलग्न है, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर बनाया गया है व थाना कटरा बाजार की मोहर लगी है। मैं अपने द्वारा तैयार कराये गये एफ०आई०आर० को प्रमाणित करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया तथा इस मुकदमें की कायमी भी मेरे द्वारा सी०सी०टी०एन०एस० प्रणाली के माध्यम से तैयार कराई गई थी, जिसकी कायमी जी०डी० सं०–39 दिनांक–30.04.2019 समय 17:20 बजे है, जो पत्रावली में कागज सं०–5/30 के रूप में संलग्न है, जिस पर थाना कटरा बाजार की मोहर लगी है। मैं अपने द्वारा तैयार कराये गये

जी०डी० को तस्दीक करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। अपने द्वारा तैयार किये गये एफ०आई०आर० व जी०डी० के बारे में बताया था।

39. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी उपनिरीक्षक मोहम्मद इस्लाम खान (पी०डब्लू०–10) ने कथन किया है कि ये घटना 30.04.2019 की है। उस समय मैं हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था। मै सी०सी०टी०एन०एस० का काम नहीं करता था। मैं सी०सी०टी०एन०एस० कर्मी को बोल–बोल कर एफ०आई०आर० दर्ज कराई थी। जिस समय मैं सी०सी०टी०एन०एस० को बोल कर एफ०आई०आर० लिखवा रहा था, उस समय वादी मुकदमा मौजूद नहीं था। मैंने प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा बाजार के आदेश पर मुकदमा अपराध संख्या 104/2019 धारा–498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में एफ०आई०आर० की रचना कराई थी। मुझे आज जो एफ०आई०आर० का वर्जन जो लिखाया था, वो मुझे याद नहीं है। वादी मुकदमा के तहरीर देने पर तत्काल एफ०आई०आर० की रचना हुई और वादी मुकदमा को तुरन्त एफ०आई०आर० की कापी मुहैया कराई गई। इसका सन्दर्भ यह होता है कि वादी मुकदमा थाना परिसर में मौजूद था। यह कहना गलत है कि मैंने एफ०आई०आर० की रचना राजनीतिक दबाव व वादी मुकदमा के दबाव में की थी। यह कहना गलत है कि जिस समय मैं सी०सी०टी०एन०एस० कर्मी को बोल–बोल कर एफ०आई०आर० की रचना करवा रहा था, उस समय वादी मुकदमा मेरे बगल में मौजूद रहा होगा। तहरीर में क्या लिखा था, वह आज मुझे याद नहीं है। मैंने तहरीर को देख–देख कर सी०सी०टी०एन०एस० कर्मी से एफ०आई०आर० की रचना कराई थी।

40. इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी अभियोजन की ओर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन की याचना पर अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया और अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद व विनोद द्वारा कथन किया गया है कि मुकदमा गलत है, गलत आरोप लगाया गया है, गवाहों द्वारा पुलिस के दबाव में गलत बयान दिया गया है। वादी द्वारा दहेज मांगने का गलत कथन किया गया है। जिस समय पंचायतनामा हो रहा था, उस समय परिवार के सभी व्यक्ति मौजूद थे। शादी में किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था, शादी खुशी–खुशी सम्पन्न हुई थी। उसे रंजिशन फंसाया गया है, उसे सफाई देनी है। वह अपने लड़के ज्ञानू से बंटवारा करके रामू के साथ रहता है, ज्ञानू अलग रहता है। वह व उसका पूरा परिवार निर्दोष है, उसके व परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमा चलाया गया है।

41. अभियुक्त ज्ञानू द्वारा कथन किया गया है कि मुकदमा गलत है, गलत आरोप लगाया गया है, गवाहों द्वारा पुलिस के दबाव में गलत बयान दिया गया है। वादी द्वारा दहेज मांगने का गलत कथन किया गया है। जिस समय पंचायतनामा हो रहा था, उस समय परिवार के सभी व्यक्ति मौजूद थे। शादी में किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ था, शादी खुशी–खुशी सम्पन्न हुई थी। विवेचक ने गलत विवेचना करके आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। उसे रंजिशन फंसाया गया है, उसे सफाई देनी है। वह अपने पिता व भाई से बंटवारा करके पहले से अलग रहता है। वह व उसका पूरा परिवार निर्दोष है। उसे व उसके परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमा चलाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है।

42. बचाव पक्ष की ओर से अपने सफाई साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू०–01 खरचू, डी०डब्लू०–02 राम विलास डी०डब्लू० 3 रामधन व डी०डब्लू० 4 लल्लन प्रसाद उर्फ भगेलू को परीक्षित कराया गया। अन्य कोई

साक्ष्य दाखिल न करने पर न्यायालय द्वारा उसी दिन ही अभियुक्तगण के सफाई साक्ष्य का अवसर समाप्त करके पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

43. बचाव की तरफ से सफाई साक्षी के तौर पर परीक्षित कराए गए **डी०डब्लू० 01 खरचू** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे घर से लक्ष्मी प्रसाद के घर की दूरी 500 मीटर है। मृतका की शादी ज्ञानू के साथ 05 जून 2017 बेहटा गांव से, जो जिला बाराबंकी में लगता है, से तय हुई थी। तय होते समय मैं मौजूद था। तय होते वक्त किसी प्रकार के दान दहेज की बात नहीं हुई थी। ज्ञानू के पिता न तो दहेज की बात नहीं हुई थी। ज्ञानू के पिता न तो दहेज पाने के पोजीशन में थे और न ही मृतका के पिता दहेज देने के पोजीशन में थे। चूंकि दोनो व्यक्ति बहुत गरीब थे, बारात भी मैं गया था बारात में किसी प्रकार का दान–दहेज को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। खुशी–खुशी लड़की विदा होकर अपने घर आई थी। विदाई के कुछ दिन बाद लक्ष्मी प्रसाद ने ज्ञानू व विनोद को बंटवारा करके अलग–अलग कर दिया था तथा वे अपने एक लड़के रामू के साथ जो कि विकलांग है, उसके साथ रहकर के अपना जीवन–यापन कर रहे हैं। मै अक्सर लक्षमी प्रसाद के घर आया–जाया करता था। लक्ष्मी प्रसाद के परिवार में किसी प्रकार का दान–दहेज को लेकर विवाद नहीं हुआ था। मृतका मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना में ज्ञानू, लक्ष्मी प्रसाद व विनोद का कोई दोष नहीं है। जिस दिन मृतका की मौत हुई थी, उस दिन भी मैं उनके दरवाजे पर गया था। मौत के बाद लड़की लिटाई हुई थी और लक्ष्मी प्रसाद के पूरे परिवार वालों ने मृतका की मृत्यु की सूचना भी बुधना के पिता को जरिये मोबाइल दिया था। मैं लक्ष्मी प्रसाद के परिवार वालों को भली–भांति जानता हूँ। वह सब सज्जन प्रकृति के व्यक्ति हैं और मजदूरी करके अपनी जीविकोपार्जन करते हैं।

44. अभियोजन पक्ष के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर बचाव पक्ष साक्षी खरचू (डी०डब्लू०–1) ने कथन किया है कि लक्ष्मी प्रसाद जो इस मुकदमें में मुल्जिम हैं, वह निशाद विरादरी के हैं। लक्ष्मी प्रसाद की शादी किस तारीख को तय हो रही थी, वह तारीख, दिन, महीना याद नहीं है। लक्ष्मी प्रसाद की शादी ग्राम बेहटा जिला बाराबंकी से तय हुआ था। शादी जब तय हो रही थी तो उस समय मैं अपने गांव से अकेला था और कोई नहीं था। लक्ष्मी प्रसाद के घर जमुना, विकास, त्रिवेणी, ननकू, ननकुन्ने जो लक्ष्मी प्रसाद के भाई पट्टीदार थे, मौजूद थे। लक्ष्मी प्रसाद की जिस लड़की से शादी हुई थी, उसका नाम बुधना था। मेरे पांच बच्चे हैं, जिसमें से तीन लड़के हैं और दो लड़की है। जिसमें से दो लड़की व एक लड़के की शादी हो चुकी है। मेरे पांचो बच्चे किस–किस तारीख को पैदा हुए, जन्मतिथि याद नहीं है। अर्जुन की शादी पांच वर्ष पूर्व 2024 में हुई थी। 05 जून 2023 में बड़ी लड़की की शादी किया था। शादी का कार्ड छपवाया था, घर पर मौजूद है। ज्येष्ठ में आठ तारीख वर्ष 2022 में अपनी छोटी लड़की की शादी किया था। ज्येष्ठ में अंग्रेजी का कौन महीना आता है, मैं नहीं बता सकता हूँ। यह कहना सही है कि वर्ष 2022 में अपनी छोटी लड़की की शादी किया, उस शादी का दिन, महीना, दिनांक याद नहीं है। नान्हू के कितने बच्चे हैं, नहीं जानता हूँ। नान्हू के दो लड़के एक लड़की को जानता हूँ। शादी में गया था, जो सामने आया था, उसी को जानता हूँ। लक्ष्मी प्रसाद के लड़के के साथ मेरा लड़का पढ़ता था, लड़कों–लड़कों में सम्बन्ध था। लड़के सेल्हरी मडंप स्कूल में पढ़ते थे। मैं अपने लड़के को खाना देने जाता था तो मेरे लड़के के साथ लक्ष्मी प्रसाद का लडका भी खा लेता था। इस वजह से मेरा सम्बन्ध लक्ष्मी प्रसाद से हो गया। जब मेरा

व लक्ष्मी प्रसाद का व्यवहार हुआ तो मेरा व लक्ष्मी प्रसाद का व्यवहार होने के पहले लक्ष्मी प्रसाद की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। मृतका, जो लक्ष्मी प्रसाद की पतोहू थी, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था, मुझसे मृतका पर्दा करती थी। मेरे सामने नहीं आती थी, बोलती–चालती नहीं थी। लक्ष्मी प्रसाद के तीन लड़के लडकियां हैं। सभी बच्चे हंसी–खुशी के साथ एक साथ रहते हैं।

45. अभियोजन पक्ष के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर बचाव पक्ष साक्षी खरचू (डी०डब्लू०–1) ने आगे कथन किया है कि लक्ष्मी प्रसाद का एक लडका विकलांग है, विवाह उसका भी हो चुका है। मै ज्ञानू के ससुराल में शादी में बारात गया हूँ, उसके बाद मैं ज्ञानू के ससुराल कभी नहीं गया हूँ। मृतका का दुख तकलीफ कभी नहीं पूँछा था, खुद कहा कि मृतका को कोई दुख तकलीफ नहीं था। बहुत खुशी सम्पन्न जीवन था। जब मैं ज्ञानू के बरात में गया था तो वहां बारातियों के स्वागत सत्कार व खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी। करीब दो सौ लोग बारात गये थे।

प्रश्न– ज्ञानू की शादी का दिन, तारीख व वर्ष आपको विधिवत याद है, जबकि आपकी सगी छोटी पुत्री के विवाह की तिथि आपको याद नहीं है, इसका क्या कारण है?

उत्तर– इसका कारण यह है कि गरीब होने के कारण मेरे शादी में कार्ड नहीं छपा था, हल्दी चलती थी। जबकि ज्ञानू के शादी में कार्ड छपा था तो उस कार्ड पर छपे हुए दिन, तारीख, वर्ष लिखा था और मैंने कार्ड को देखा था, इसलिये मुझे दिन, तारीख, वर्ष याद है।

लक्ष्मी प्रसाद से आज भी मेरा अच्छा व्यवहार है, लेन–देन, न्यौता–हकारी, खान–पान सब है। यह कहना गलत है कि लक्ष्मी प्रसाद से सम्बन्ध होने के कारण मैं लक्ष्मी प्रसाद की ओर से लक्ष्मी प्रसाद को बचाने की गरज से झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मृतका ने कभी भी मुझे अपनी दुख तकलीफ नहीं बताया है, इसलिये यह नहीं बता सकता कि बुधना क्यों मरी है। यह कहना गलत है कि मृतका व ज्ञानू के आपसी सम्बन्धों के बारे में मुझे कोई जानकारी रही हो।

46. बचाव पक्ष की तरफ से सफाई साक्षी के तौर पर परीक्षित कराए गए **डी०डब्लू० 02 राम विलास** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं ज्ञानू की शादी जब तय हो रही थी, उस समय भी मैं मौजूद था। उस समय किसी भी प्रकार के कोई मांग दहेज स्वरूप नहीं की गई थी। शादी बिना दान–दहेज के 5 जून 2017 को सम्पन्न हुई थी। शादी होते समय भी किसी प्रकार का दान–दहेज को लेकर कोई विवाद नहीं था और शादी होने के बाद लक्ष्मी प्रसाद ने अपने तीनों लड़को को बांट के बटवारा कर दिया था। ज्ञानू अपनी पत्नी के साथ रहते थे। विनोद भी अलग बंटवारा करके अपने परिवार के साथ रहते थे। रामू जो एक पैर से विकलांग है, उसके साथ लक्ष्मी प्रसाद अपना जीवन–यापन करते थे। तीनों लोगों का खान–पान अलग–अलग था। ज्ञानू व लक्ष्मी प्रसाद के घर पर कभी भी किसी भी प्रकार का दान–दहेज को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। मृतका ने क्यों आत्महत्या की, इसके बारे में जहाॅ तक मेरी राय है, उसके दान–दहेज को न लेकर बल्कि अवसाद में होने के कारण आत्महत्या कर ली, इसमें ज्ञानू व उसके घर वालों का कोई दोष नहीं है।

47. अभियोजन पक्ष के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर बचाव पक्ष साक्षी राम विलास (डी०डब्लू०–2) ने कथन किया है कि मुझे आज पता चला है कि वादी ने मेरा नाम अपनी ओर से गवाही के लिए बतौर गवाह लिखाया है। वादी की ओर से मुझे वादी ने न तो गवाही के लिये

बुलाया और न तो गवाही दिया। यह मुकदमा नान्हू ने लिखाया है। नान्हू मेरे गवई नातबात है। मेरी नान्हू से सीधे रिश्तेदारी नहीं है। नान्हू मेरे गांव के नहीं है, ज्ञानू व लक्ष्मी प्रसाद मेरे गांव के हैं और मेरी ही विरादरी के हैं। वादी मुकदमा ने अपनी ओर से मेरी गवाही इस लिए नहीं कराई क्योंकि मै ज्ञानू व लक्ष्मी प्रसाद से मिल गया था, ऐसा उन्होने सोचा होगा, मैं नहीं कह रहा। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान से मिल जाने के कारण वादी ने अपनी ओर से बतौर गवाह मुझे नहीं पेश किया। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमान को लाभ पहुंचाने की गरज से मुल्जिमान की ओर से झूठी गवाही दे रहा हूँ। ज्ञानू की शादी किस तारीख, किस दिन, किस सन में तय हो रही थी, यह मुझे याद नहीं है। मेरे एक लड़का व दो लड़की है। मेरे एक लड़का व दो लड़की किस तारीख को पैदा हुए थे, मै नहीं बता सकता। ज्ञानू के घर मेरा रोज का आना–जाना नहीं है, रास्ते में मिलने पर हाल–चाल होता है। मैं ज्ञानू के घर नहीं जाता हूँ, औरतें आती–जाती हैं। ज्ञानू का भी मेरे घर आना–जाना नहीं है। चूंकि न ज्ञानू मेरे घर आते–जाते हैं, न मैं ज्ञानू के घर जाता हूँ, इसलिये मेरे घर के अन्दर की बात ज्ञानू को नहीं पता है और न ज्ञानू के घर के अन्दर की बात मुझे पता है। ज्ञानू की औरत मृतका के मारने की निश्चित वजह माइंडली डिस्टर्वेन्स था। मृतका के दिमागी डिस्टर्वेन्स की कोई दवाई ज्ञानू ने कराई या नहीं कराई, मुझे नहीं पता। अन्दाज से कह रहा हूँ कि मृतका माइंडली डिस्टर्वेन्स थी। यह कहना गलत है कि घरेलू कलह व प्रताड़ना से मृतका परेशान रहती थी। यह भी कहना गलत है कि ज्ञानू व लक्ष्मी प्रसाद व विनोद द्वारा दहेज की मांग और दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे तथा मारने–पीटने के कारण मृतका मरी। यह भी कहना गलत है कि जिस प्रकार घटना घटी हो उस तरह आज मैं बयान नहीं दे रहा हूँ।

48. बचाव पक्ष की तरफ से सफाई साक्षी के तौर पर परीक्षित कराए गए **डी०डब्लू० 03 राम धन** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि जब ज्ञानू की शादी तय हो रही थी तब मैं मौजूद था। शादी तय होते समय कोई ज्यादा सामान नहीं लाये थे न ही तय होते समय दान दहेज को लेकर कोई वाद विवाद नहीं हुआ था। दिनांक–05.06.2017 को शादी सम्पन्न हुई थी, उसमें भी कोई दान दहेज को लेकर विवाद नहीं हुआ था। शादी में लड़की विदा होकर आ गयी थी। और विदा होने के कुछ दिन बाद लक्ष्मी प्रसाद ने अपने तीनों लड़कों का बंटवारा करके अलग–अलग खान पान की व्यवस्था करवा दी थी। ज्ञानू अपनी पत्नी के साथ अलग रहते थे। विनोद भी अलग रहते थे और रामू जो एक पैर से विकलांग है उसके साथ लक्ष्मी प्रसाद अपना जीवन यापन करते थे। मेरा घर लक्ष्मी प्रसाद के घर के पास है। मैं लक्ष्मी प्रसाद के परिवार वालों को भलीभांति जानता हूँ। उनके घर में कभी दहेज को ले करके वाद–विवाद नहीं हुआ। लड़की की रिश्तेदारी भी गांव में है, जो उसकी बहन लगती है। बाद में मृतका, जो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार रहा करती थी, इसकी वजह से उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के तुरंत बाद ज्ञानू ने फोन मिलाकर मृतका के पिता जी को बताया था। मृतका के परिवार वाले जब पहुंचे उस समय ज्ञानू, विनोद, लक्ष्मी प्रसाद व रामू मौके पर मौजूद थे। दहेज के बावत मृतका के पिता जी ने कभी भी कोई शिकायत न तो थाने पर की न ही गांव में कोई पंचायत ही की। इस तरह से कहा जाता है कि मृतका को किसी ने मारा नहीं बल्कि उसने स्वयं मानसिक रूप से अवसाद में होने के कारण आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या में परिवार वालों का कोई दोष नहीं है। मैं आज अदालत पर अकेले आया हूँ। ज्ञानू के साथ नहीं आया हूँ। सही–सही बात बता रहा हूँ।

49. अभियोजन पक्ष के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर बचाव पक्ष साक्षी राम धन (डी०डब्लू०–3) ने कथन किया है कि मैंने अदालत पर अपने पिता का नाम जोखू लिखवाया है। जोखू ही मेरे पिता है, आधार कार्ड पर भी मेरे पिता जी का नाम जोखू लिखा है, मेरे पिता का एक और नाम गांव में रामरूप है। कोर्ट से मुझे गवाही के लिए सम्मन नहीं मिला है। मुझे कोई लेके नहीं आया है। मैं अपने मन से आया हूँ। आज मुकदमें में तारीख यह बात मुझे मेरे पिता रामरूप ने बताया था। इस कोर्ट में मुझे वकील लेकर आये हैं। मैं घर से सीधे अदालत पर आया हूँ, उसके बाद वकील साहब को बुला के लाया हूँ। मैं मजदूरी करता हूँ। लक्ष्मी प्रसाद से मेरी दोस्ती है। लक्ष्मी प्रसाद को गांव में और किसी नाम से नहीं जाना जाता है। ज्ञानू लक्ष्मी प्रसाद के लड़के का नाम है। विनोद ज्ञानू के बड़े भाई का नाम है। जिस मुकदमें में मैं गवाही देने आया हूँ उसमें मुल्जिम कोई नहीं है सब निर्दोष है। मुकदमा तीन लोगों लक्ष्मी प्रसाद, विनोद और ज्ञानू पर चल रहा है। ज्ञानू से मेरा रोज का मिलना–जुलना है। मैं बारात गया था। बारात में 5 जून 2017 को गया था। ज्ञानू के औरत का नाम मुझे नहीं पता। फिर बताया बुधना। उसकी मृत्यु 30 अप्रैल 2019 को हुई थी। कैसे मरी यह मुझे नहीं मालूम है। आत्म हत्या कर ली है। ज्ञानू के ससुर का नाम नान्हू है। नान्हू की दो बेटियों को जानता हूँ। दोनों बेटियों की शादी मेरे गांव में हुई थी। मृतका अपनी शादी से बहुत ज्यादा दो साल जिन्दा थी। मृतका अपने ससुराल में मरी थी। जब वह मरी थी तब उसके घर वाले कुछ घर पर थे कुछ खेत में थे। बुधना की मृत्यु लगभग सुबह 8–9 बजे हुई थी उस समय मैं गेंहू काट रहा था जब हल्ला सुना तब आया था। ज्ञानू और उनकी पत्नी से क्या बातचीत होती थी मैं नहीं सुनता था। मैंने अपनी नजर से दोनों परानी को तू–तू मैं–मैं करते नहीं देखा। हमारे न देखने में झगड़ा दोनों के बीच नहीं हो सकता था, क्योंकि जब भी झगड़ा होता हमारे सामने ही होता। मैं सुबह खेत में काम करने चला जाता हूँ शाम को पांच बजे लौटकर आता हूँ। शाम को आने पर पूरे टोले मोहल्ले का झगड़ा पता चल जाता है।

50. अभियोजन पक्ष के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर बचाव पक्ष साक्षी राम धन (डी०डब्लू०–3) ने आगे कथन किया है कि मेरी शादी 31 मई 2003 को हुई थी। मेरे तीन बच्चे हैं दो लड़का, एक लड़की है। बच्चे किस तारीख को पैदा हुये थे मुझे याद नहीं है। आज फाइल में गवाही होनी है ये बात मेरे पिता जी बताये थे। मेरे पिता जी को इस फाइल के विषय में जानकारी रहती है। इस फाइल में कितनी गवाही हुई है ये बात मेरे पिता जी ने मुझे नहीं बताया है। मेरे पिता बताये कि जाओं गवाही देनी है और जो सही हो वही बताना। एक और मामला हमारे गावं हुआ है उसमें हमारे भाई लोग गवाह है, उसमें मैं गवाह नही हूँ, उसमें भी पिता जी कहेंगे तो मैं गवाही देने जाऊंगा। मेरे पिता जी जहां–जहां कहेंगे वहां–वहां मैं गवाही देने जाऊंगा मैं उनकी बात को नहीं टाल सकता। मैं अपने पिता जी की सही बातें मानता हूँ, गलत बातें नहीं मानता हूँ। यह कहना सही है कि मेरे परिवार वालों का मुल्जिम लक्ष्मी प्रसाद के परिवार वालों से अच्छा संबंध है और उसी संबंध के कारण गवाही देने आया हूँ। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ। आज मैं सुबह से ज्ञानू से नहीं मिला हूँ। फिर कहा कि ज्ञानू आज अदालत पर आया है, मुझसे मिला है। आज मैं घर से 50–60 रूपया भाड़ा देके आया हूँ। किराया भाड़ा किससे लेना है इस बात को पिता जी ने नहीं बताया था। अगर मेरे जानने वालों लोगों के साथ कोई बात होगी तो मैं बताऊंगा कि गलत मृतका आग से जलकर नहीं मरी थी, पानी में डूबकर नहीं मरी थी, छत से कूदकर नहीं मरी थी, फांसी लगाकर नहीं मरी थी। मृतका कैसे मरी थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। क्यों मरी थी? उसकी अन्दरूनी

बात को मैं नहीं जानता हूँ। किसने मारा था? कोई नहीं मारा था। वहां भीड़ में से बहुत लोग बोले कि आत्महत्या कर ली है। लोगों के बताने के हिसाब से मैंने जाना कि आत्म हत्या किया है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने घटना नहीं देखी थी सुनी–सुनायी बात बता रहा हूँ।

51. बचाव पक्ष की तरफ से सफाई साक्षी के तौर पर परीक्षित कराए गए **डी०डब्लू० 04 लल्लन प्रसाद उर्फ भगेलू** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरा लल्लन प्रसाद के नाम से निर्वाचन कार्ड बना है तथा आधार कार्ड भगेलू के नाम से बना है। गांव में मुझे लोग लल्लन प्रसाद व भगेलू के नाम से जानते है व गांव में पुकारते हैं। शादी तय होने के समय मैं मौजूद था, शादी होते समय दान–दहेज की कोई बात तय नहीं हुई थी। दिनांक–05.06.2027 को शादी सम्पन्न हुई थी, इसमे मैं बरात गया था, शादी में भी कोई वाद–विवाद कम दहेज को लेकर नहीं हुआ था। शादी में लड़की विदा होकर आई थी। मृतका का गांव में उसकी चचेरी बहन ब्याही है, चचेरी बहन ने ही मृतका की शादी ज्ञानू के साथ कराई थी। शादी होने के कुछ दिन बाद लक्ष्मी प्रसाद अपने तीनो लड़कों का बंटवारा कर दिया था। मृतका ज्ञानू के साथ रहती थी, विनोद अपनी पत्नी के साथ रहते थे और रामू जो एक पैर से विकलांग है, उसके साथ लक्ष्मी प्रसाद जीवन–यापन करते हैं। मृतका कुछ बीमार रहा करती थी, जिसका इलाज ज्ञानू व ज्ञानू के घर वालों ने कराया था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मानसिक अवसाद में आ जाने के कारण दिनांक–30.04.2019 को मृतका ने स्वयं फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। मृतका के फांसी लगाने पर न तो ज्ञानू का कोई योगदान है न तो लक्ष्मी प्रसाद और न विनोद का। दान–दहेज को लेकर कोई वाद–विवाद कभी नहीं पैदा हुआ न तो परिवार वालों ने कभी मारा–पीटा। बीमारी के कारण मानसिक अवसाद में आकर स्वयं आत्महत्या कर ली है। ज्ञानू ने आत्महत्या के बाद तुरन्त अपने ससुर को फोन किया था और थाने पर भी सूचना दी थी, जिससे ससुराल पक्ष व पुलिस वाले तुरन्त मौके पर पहुंचे थे। मैं पंचायतनामा में भी गवाह था, मैं अदालत पर बयान देने स्वयं अपने साधन से अकेले आया हूँ और सत्य–सत्य बात बता रहा हूँ, जिससे कोई नाजायज आदमी फर्जी मुकदमें में फंसने न पावे, यही मेरा बयान है।

52. अभियोजन पक्ष के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर बचाव पक्ष साक्षी लल्लन प्रसाद उर्फ भगेलू (डी०डब्लू०–4) ने कथन किया है कि मेरा घर लक्ष्मी प्रसाद के घर से 150 मीटर की दूरी पर है। मृतका मेरी भहेव लगती थी। मृतका का मायका मांझा में कहीं पड़ता है, गांव का नाम याद नहीं है। मृतका कई भाई व बहन थी, मुझे नहीं मालूम है। मुझे यह भी नहीं मालूम है कि मृतका के भाई क्या करते हैं। मृतका के सगी बहन का नाम मुझे नहीं मालूम है। मृतका की मृत्यु के समय मैं अपने घर पर बाग में बैठा था। जहां मृतका मरी थी वहां से मैं दो सौ मीटर दूर पर बैठा था। गांव के लोगों ने मुझे उसके मरने की सूचना दी थी। उसकी मृत्यु के पहले अस्पताल कौन ले गया था, मुझे नहीं मालूम है। मृतका के मरने की सूचना किसने थाने पर दिया था, मुझे नहीं मालूम है। उसके घर ससुराल मैं रोज आता–जाता था। उसके घर आना–जाना था, परन्तु मैं मृतका को नहीं देखा था, लेकिन मेरी पत्नी उसके यहां आती–जाती थी। मेरी पत्नी कभी–कभी मृतका से मिलने आती–जाती थी। मुझे नहीं मालूम है कि मृतका को किसने मारा था। मुझे नहीं मालूम है कि उसकी शादी में क्या–क्या दान दहेज मिला था। शादी तय होते समय मैं था, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया था कि क्या–क्या दान दहेज मिला था। मैं पंचायतनामा में गवाह था, जो

पुलिस ने पूँछा था वह मैंने बताया था। मृतका के मृत्यु के पश्चात दाह–संस्कार लक्ष्मी प्रसाद के घर वालों ने किया था। यह कहना गलत है कि उसकी मृत्यु के समय मृतका के घर पर था। यह भी कहना गलत है कि मृतका के मृत्यु के बारे में सब कुछ पता है। यह कहना गलत है कि न्यायालय पर मैंने जो बयान दिया है, वह मुल्जिम के दबाव में दिया है।

53. अभियोजन पक्ष के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर बचाव पक्ष साक्षी लल्लन प्रसाद उर्फ भगेलू (डी०डब्लू०–4) ने आगे कथन किया है कि यह कहना सही है कि जो बातें मैंने मुख्य परीक्षा में अदालत पर बताई हैं, वह बात पहली बार अदालत पर बताई हैं। यह भी कहना सही है कि अदालत पर दिये गये अपने बयान के बावत कोई प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र अथवा बयान किसी अधिकारी अथवा विवेचक को नहीं दिया था। यह भी कहना सही है कि इस मुकदमें में मैं गवाही के रूप में नामित था, लेकिन वादी मुकदमा ने मेरी गवाही नहीं कराई और मुझे डिस्चार्ज कर दिया। यह भी सही है कि वादी पक्ष ने मेरे ऊपर यह आक्षेप लगाते हुए कि मैं मुल्जिम पक्ष से मिल गया हूँ, मेरी गवाही अपनी ओर से नहीं कराई है। यह भी कहना सही है कि मृतका मेरे सामने नहीं होती थी, मुझसे पर्दा करती थी। यह भी सही है कि मृतका से दुआ पैलगी के अभाव में मेरी कोई बात नहीं होती थी। यह कहना गलत है कि जिस प्रकार से, जिस वजह, जिस तरीके से घटना घटित हुई है, उस प्रकार, उस वजह से, उस तरीके से घटना के घटित होने के बारे में जानबूझ कर नहीं बता रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि मैं मुल्जिमानों से मिल गया हूँ, इस नाते मुल्जिमान को लाभ पहुंचाने कि लिए गवाही दे रहा हूँ।

54. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री चंद्रशेखर सिंह तथा तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष चतुर्वेदी की बहस को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का परिशीलन किया।

55. अभियोजन के विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि मृतका का विवाह घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व अभियुक्त ज्ञानू के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात अभियुक्तगण ज्ञानू, लक्ष्मी प्रसाद एवं विनोद द्वारा मृतका से निरंतर सोने की लड़ी एवं नकद धनराशि की मांग की जाती थी तथा मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। मृतका के पिता (पी०डब्लू०–1), माता (पी०डब्लू०–2), भाई (पी०डब्लू०–3), चचेरे भाई धर्मपाल (पी०डब्लू०–4) तथा राजू (पी०डब्लू०–6) ने अपने–अपने बयानों में एक स्वर से दहेज मांग एवं प्रताड़ना का समर्थन किया है। इन साक्षियों की जिरह से उनके मुख्य कथन पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे अभियोजन का मूल कथानक अविश्वसनीय हो सके। अभियोजन की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि दहेज की मांग एवं प्रताड़ना के संबंध में सभी पारिवारिक साक्षियों के कथनों में पर्याप्त सामंजस्य है तथा केवल इस आधार पर कि वे मृतका के निकट संबंधी हैं, उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

56. अभियोजन की ओर से यह भी तर्क दिया कि मृतका की मृत्यु उसके वैवाहिक जीवन के सात वर्ष के भीतर उसके ससुराल में अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113–बी के अनुसार दहेज मृत्यु की विधिक उपधारणा अभियुक्तगण के विरुद्ध लागू होती है। अभियोजन का यह भी तर्क है कि घटना के ठीक पूर्व भी मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। इस तथ्य का समर्थन उसके निकट संबंधियों के साक्ष्य से होता है, जो "soon before death" की विधिक

आवश्यकता को पूर्ण करता है। अभियोजन का कहना है कि अभियुक्तगण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन यह स्पष्ट करने में भी असफल रहे हैं कि मृतका की मृत्यु उनके घर के भीतर किन परिस्थितियों में हुई।

57. अभियोजन की ओर से चिकित्सकीय साक्ष्य पर विशेष बल देते हुए कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी द्वारा श्वासावरोध बताया गया है, किन्तु यह तथ्य अभियोजन के विरुद्ध नहीं जाता, क्योंकि दहेज मृत्यु के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु हत्या ही हो। यदि दहेज प्रताड़ना के परिणामस्वरूप मृतका ने आत्महत्या की हो अथवा उसकी मृत्यु अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई हो, तब भी धारा 304–बी भारतीय दण्ड संहिता आकर्षित होती है।

58. अभियोजन का यह भी तर्क है कि विवेचक द्वारा तैयार पंचायतनामा, घटनास्थल का निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य का समर्थन करते हैं। समस्त साक्ष्यों का संयुक्त मूल्यांकन करने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित होगा।

59. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अभियोजन का संपूर्ण मामला मृतका के निकट सम्बन्धियों के कथनों पर आधारित है, जो स्वाभाविक रूप से पक्षपाती एवं इच्छुक (Interested Witnesses) हैं। किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ग्रामीण साक्षी द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। सभी प्रमुख साक्षियों के बयानों में विवाह की तिथि, दहेज की मांग, मांगी गई धनराशि, सूचना प्राप्त होने का समय, घटनास्थल की स्थिति, शव की अवस्था तथा घटनास्थल पर अभियुक्तों की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं सुधार (Contradictions and Improvements) हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि केवल संबंधी साक्षियों के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, विशेषकर तब जबकि उनके कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं सुधार मौजूद हों।

60. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवाह प्रेम संबंध के आधार पर हुआ था तथा दोनों एक–दूसरे को पूर्व से जानते थे। मृतका का अभियुक्त ज्ञानू के गांव में पूर्व से आना–जाना था। अतः दहेज मांग का आरोप बाद में दुर्भावनावश लगाया गया है। विवाह के समय अथवा तिलक के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज विवाद नहीं हुआ था। स्वयं अभियोजन के साक्षी एवं विवाह कराने वाले पंडित (पी०डब्लू०–5) ने स्वीकार किया है कि विवाह शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ तथा किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मृतका एवं अभियुक्त ज्ञानू के बीच वैवाहिक संबंध सामान्य एवं सौहार्दपूर्ण थे तथा अभियुक्त समय–समय पर मृतका को अपने साथ लखनऊ भी ले जाता था, जिससे दहेज प्रताड़ना का आरोप असत्य प्रतीत होता है।

61. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विशेष रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि डॉक्टर (पी०डब्लू०–7) ने स्पष्ट कहा है कि मृतका के शरीर पर गले के फंदे के निशान के अतिरिक्त कोई बाह्य चोट नहीं थी। यदि अभियोजन के अनुसार मृतका को बेरहमी से मारपीट कर हत्या की गई होती, तो शरीर पर गंभीर चोटें अवश्य पाई जातीं। अतः अभियोजन की मौखिक गवाही चिकित्सा साक्ष्य से मेल नहीं खाती। अभियोजन के साक्षियों द्वारा मृतका के शरीर पर अनेक चोटों का वर्णन किया गया है,

जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी किसी चोट का उल्लेख नहीं है। अतः चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन की मौखिक गवाही का समर्थन न करके उसके विपरीत है, जिससे अभियोजन का कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

62. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि मृत्यु से ठीक पूर्व (Soon Before Death) मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया था। सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप धारा 304–बी भारतीय दण्ड संहिता के लिए पर्याप्त नहीं हैं। बचाव पक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया है कि विवेचना में अनेक त्रुटियां हैं। विवेचक ने निष्पक्ष जांच नहीं की तथा स्वतंत्र साक्षियों को नहीं जोड़ा। इससे अभियोजन की कहानी संदेहास्पद हो जाती है। अभियोजन धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को सिद्ध करने हेतु कोई प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है तथा धारा 304–B भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व भी संदेह से परे सिद्ध नहीं हुए हैं। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संदेह से परे दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तथा यदि साक्ष्यों से दो दृष्टिकोण संभव हों, तो विधि के स्थापित सिद्धांत के अनुसार अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। तद्नुसार अभियुक्तगण को समस्त आरोपों से दोषमुक्त किए जाने की याचना की गई है।

63. इस सत्र प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं–

(I) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 30.04.2019 एवं उससे पूर्व मृतका को दहेज की मांग की गयी एवं उक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया?

(II) क्या अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज की मांग को लेकर मार–पीटकर प्रताड़ित किया और मांग की पूर्ति न होने पर उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी?

(III) क्या मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष की अवधि के भीतर हुई थी?

(IV) क्या मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई थी?

(V) क्या अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में मृतका को मारपीट कर उसकी हत्या कारित की गयी?

निष्कर्ष

64. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा नान्हू की लड़की (मृतका) की शादी अभियुक्त ज्ञानू के साथ हिन्दू धर्म शास्त्र व रीति–रिवाज से हुई थी। शादी के समय वादी मुकदमा ने अपने सामर्थ के अनुसार काफी दान–दहेज दिया था। मृतका की विदाई शादी में ही किया था, लेकिन गौना एक साल के बाद दिया था। उसके पति ज्ञानू, ससुर लक्ष्मी प्रसाद व जेठ विनोद मेरी लड़की से सोने की लर (माला) व रूपयों की मांग को लेकर मारते–पीटते थे, गाली गुप्ता देते थे। उसके ससुराल में जब कोई जाता था या वह जब ससुराल से मायके आती थी, वह मुझसे, मेरी पत्नी व बच्चों आदि परिवार वालो को बताती थी। मृतका के ससुराल वालों की दहेज की उक्त मांग पूरा न कर पाने के कारण दिनांक 30.04.2019 को उसकी लड़की (मृतका) को मार डाला। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने, दहेज की मांग करने एवं दहेज मृत्यु के आरोप विरचित किए गए। अभियोजन द्वारा उक्त आरोपों को साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष कुल 10 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है।

65. अभियोजन को अब यह स्थापित करना है कि मृतका को उसके पति एवं अन्य अभियुक्तगण के द्वारा दहेज में सोने की लर (माला) व रुपए लाने को लेकर प्रताड़ित किया गया तथा मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई।

66. <u>भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क प्रावधानित करती है कि</u>–

498 क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना– जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैः–

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

67. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **यू० सुवेथा बनाम राज्य (2009) 6 एस०सी०सी० 757** के वाद में धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक अवयवों को उद्धृत किया है, जो निम्नवत् हैं–

(I) महिला शादीशुदा होनी चाहिए।

(II) वह क्रूरता व प्रताड़ना के अधीन होनी चाहिए।

(III) ऐसी क्रूरता व प्रताड़ना उसके पति अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा की जानी चाहिए।

68. इसी प्रकार **आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम एम० मधुसूदन राव (2008) 15 एस०सी०सी० 582** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में यह उद्दृत किया गया है कि– "क्रूरता मात्र अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह या तो गंभीर चोट पहुंचाने या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने या उसे या उसके रिश्तेदारों को गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के इरादे से किया जाना चाहिए।"

69. <u>धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानानुसार–</u>

अभियुक्तगण पर लगे आरोप अंतर्गत धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के सम्बन्ध में उपरोक्त उल्लिखित धारा 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अवयवों तथा उल्लिखित साक्ष्य के आधार पर विचार करें तो धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम यह प्रावधानित करती है कि–

1– इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात जो कोई भी दहेज देता है या लेता है, अथवा लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष की होगी और 15,000/– रुपए या ऐसे दहेज की मूल्य की रकम के, जो भी अधिक हो, हो सकने वाले जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किए गए यथोचित और विशेष कारणों से 5 वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

2. उपधारा 1 की कोई बात निम्न पर या उनके संबंध में लागू नहीं होगी–

(क) विवाह के समय वधू को दी गई भेंट (इस निमित्त कोई मांग किए बिना) परन्तु ऐसी भेंटे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में प्रविष्ट की जाएगी।

(ख) विवाह के समय वर को दी गई भेंटे (इस निमित्त कोई मांग किए बिना) परन्तु ऐसी भेंटे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में प्रविष्ट की जाएगी।

परन्तु जहां ऐसी भेंटे वधू द्वारा या उसकी ओर से या वधू के किसी सम्बन्धी व्यक्ति द्वारा दी गई हों, ऐसी भेंटे रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटे दी गई हैं, वित्तीय हैसियत को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक नहीं है।

इस प्रकार धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दहेज लेने व देने के कृत्य को दण्डनीय बनाया गया है।

70. दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित दहेज की परिभाषा के अनुसार ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के संबंध में विचार किया जाए तो **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम यह प्रावधानित करती है कि–**

यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः वर या वधू के माता–पिता या अन्य रिश्तेदारों या पालक से दहेज मांगता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000/– रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

उक्त विधिक प्रावधान से स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से वर या वधू के माता–पिता या अन्य रिश्तेदारों से दहेज की मांग करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। इस प्रकार धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दहेज मांगने के कृत्य को दण्डनीय बनाया गया है।

धारा 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दहेज की मांग शादी के पूर्व, शादी के समय व शादी के पश्चात हो सकती है।

71. **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी** के अपराध के सम्बन्ध में विचार करें तो इसके प्रावधानानुसार–

1. जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

2. जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

72. धारा 304बी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 'दहेज मृत्यु' के अपराध के आवश्यक तथ्यों की विवेचना करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2015) 5 एस०सी०सी०**

201 और **पंचानंद मण्डल बनाम स्टेट आफ झारखण्ड (2013) 9 एस०सी०सी० 800** के मामले में विनिश्चित किया है कि इस अपराध के लिए निम्न तथ्यों का होना आवश्यक है–

I– महिला की मृत्यु जल जाने या शारीरिक क्षति से या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई हो।

II– ऐसी मृत्यु मृतका के विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई हो।

III– मृतका को उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया गया हो।

IV– ऐसी प्रताड़ना दहेज की मांग को लेकर की जा रही हो।

V– ऐसी क्रूरता या प्रपीड़न महिला के साथ उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व (soon before her death) किया गया हो।

73. इसी स्तर पर **धारा 113 ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम** का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है जिसके अंतर्गत प्रावधान है कि, "जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके सम्बन्ध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।"

उपरोक्त धारा 113 ख के स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त धारा के प्रयोजन हेतु दहेज मृत्यु का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी में है।

74. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दुर्गा प्रसाद एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2010 (9) एस०सी०सी० 73** में अवधारित किया है कि धारा 113 ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा उक्त स्थिति में की जा सकती है जब कि अभियोजन द्वारा धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता के समस्त तथ्य सिद्ध किए गए हैं तथा अभियोजन द्वारा स्वाभाविक या दुर्घटनावश मृत्यु की संभावना का खण्डन किया गया है जिससे की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिक्षेत्र के भीतर आती है।

75. स्पष्ट है कि किसी भी उपधारणा की उत्पत्ति से पूर्व अभियोजन का यह दायित्व है कि वह धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित समस्त तत्वों को स्थापित करें। उसके उपरान्त भी उपधारणा उत्पन्न होती है।

76. हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि मृतका की मृत्यु स्वभाविक थी अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में कारित हुई थी। चिकित्सीय साक्षी डॉ. दीपक कुमार (पी०डब्ल्यू०–7) द्वारा किये गये कथनानुसार मृतका के गले पर फंदे का निशान 25x1 सेंटीमीटर तथा गले पर चारों ओर, जिसमे बायीं ओर 4 सेंटीमीटर का गैप था, बायें कान से 3 सेंटीमीटर नीचे, दाढ़ी से 5 सेंटीमीटर नीचे और दाहिने कान से 6 सेंटीमीटर नीचे थी। गले के चोट के अतिरिक्त मृतका के शरीर पर कोई और चोट का निशान नहीं पाया गया था। पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के मस्तिष्क की झिल्लियाँ कन्जेस्टेड पाई गईं तथा मस्तिष्क का भार 1100 ग्राम था। मुख, जीभ, ग्रसनी, कण्ठनली एवं स्वरग्रन्थियाँ कन्जेस्टेड थीं। हायॉइड बोन (Hyoid Bone) सुरक्षित (Intact) थी। दोनों फेफड़े कन्जेस्टेड थे तथा उनका कुल भार 700 ग्राम था। हृदय का दाहिना एवं बायाँ दोनों भाग रक्त से भरे हुए थे। आमाशय में लगभग 50 ग्राम तरल पदार्थ पाया गया। यकृत (Liver), प्लीहा (Spleen) तथा गुर्दे (Kidneys) कन्जेस्टेड पाए गए तथा गुर्दों का

भार 240 ग्राम था। बच्चेदानी (Uterus) खाली थी। चिकित्सक के अनुसार मृत्यु का संभावित समय पोस्टमार्टम से लगभग एक दिन पूर्व का था तथा मृत्यु का कारण मृत्यु–पूर्व लटकने (Antemortem Hanging) के फलस्वरूप उत्पन्न श्वासावरोध (Asphyxia) था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क–2) में भी मृतका की मृत्यु का कारण *"Asphyxia due to Antemortem Hanging"* अंकित किया गया है।

77. गला दबाने/घोंटने (Strangulation) से होने वाली मृत्यु के कारण मृतक की शारीरिक अवस्था में पाए जाने वाले लक्षण स्वयं फंदे पर लटककर आत्महत्या करने (हैंगिंग) के लक्षणों से भिन्न होते हैं। हस्तगत प्रकरण में मृतका के शव पर उपस्थित बाह्य लक्षण यथा फंदे के निशान का असतत होना यथा आंख का बन्द होना, मृतका के चेहरे अथवा शरीर पर किसी प्रकार के चोट अथवा संघर्ष का निशान न पाया जाना, नाक व मुंह से खून निकलने का कोई निशान न पाया जाना तथा हायड बोन का अक्षुण्ण रहना यह दर्शित करता है कि मृतका की मृत्यु थ्रोटलिंग अथवा स्ट्रेन्गुलेशन से नहीं हुई है, बल्कि मृतका की मृत्यु का कारण हैंगिंग है। अर्थात मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह तथ्य स्थापित होता है कि मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में न होकर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई थी।

78. यह निष्कर्ष प्राप्त होने के उपरान्त कि मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी है, इस बिन्दु पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या मृतका की मृत्यु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी की परिधि में आती है अथवा नहीं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतवीर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 1735–1736/2010** के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी, मृत्यु को हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना के रुप में वर्गीकृत करने में कोई भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाती। इस प्रकार वर्गीकरण न करने का कारण यह है कि 'सामान्य परिस्थितियों के अलावा' होने वाली मृत्यु, कुछ मामलों में, हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना हो सकती है।

79. अभियोजन कथानक के अनुसार मृतका की विदाई शादी में हुई थी, लेकिन गौना एक साल बाद गया था। अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार (पी०डब्लू०–3) द्वारा भी यह कथन किया गया है कि उसकी बहन (मृतका) की शादी दिनांक 05.06.2017 को ज्ञानू के साथ हिन्दू रीति–रिवाज से हुई थी। मेरी बहन (मृतका) की विदाई शादी में हुई थी तथा ज्ञानू के साथ हुई थी। इसके अतिरिक्त अन्य अभियोजन साक्षीगण द्वारा भी पीड़िता का शादी जून 2017 में होने व उसकी विदाई शादी में होने तथा एक वर्ष के बाद गौना जाना तथा उसकी मृत्यु दिनांक 30.04.2019 को होने का कथन किया गया है। इस प्रकार अभियोजन कथानक एवं साक्षीगण के कथनों से यह तथ्य प्रकट है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई है।

80. हस्तगत प्रकरण में निम्नलिखित तत्व निर्विवाद हैं–

I– मृतका की शादी ज्ञानू के साथ हुई थी।

II– मृतका की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो गई थी।

III– मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हुई।

81. उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के पूर्णतया स्थापित होने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा यह

साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज की मांग की जाती थी तथा दहेज की मांग को लेकर मृत्यु से पूर्व मृतका के साथ क्रूरता की गयी थी।

82. उपरोक्त दोनों तत्वों को साबित करने के उद्देश्य से अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि वादी मुकदमा ने अपनी लड़की (मृतका) की शादी ज्ञानू के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के साथ की थी। तहरीर में उल्लिखित कथनों के अनुसार वादी मुकदमा की लड़की (मृतका) को दहेज के रुप में सोने की लर (माला) व रुपए की मांग के लिए उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दिया।

83. इस स्तर पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज की मांग किए जाने एवं दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किए जाने के तथ्य पर विचार किया जाना आवश्यक है तथा न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाना अपेक्षित है कि अपराध कारित किए जाने में प्रत्येक विचाराधीन अभियुक्तगण की क्या भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस तर्क पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त द्वारा मृतका को उसकी मृत्यु के शीघ्र पूर्व दहेज की मांग के लिए उसे प्रताड़ित किया गया हो अथवा क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया हो।

84. दहेज हत्या के अपराध का सबसे महत्वपूर्ण अवयव यह भी है कि मृतका को उसकी मृत्यु के शीघ्र पूर्व दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया हो। यदि प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह तथ्य पूर्णतया साबित है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका के विवाह के समय से ही दहेज की मांग की जाती रही है एवं उक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका को शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जाता रहा है। वहां मृतका की दहेज मृत्यु के सम्बन्ध में निष्कर्ष प्राप्त किए जाने से पूर्व "मृत्यु से शीघ्र पूर्व" शब्द का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

85. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कंसराज बनाम पंजाब राज्य [(2000) 5 एस०सी०सी० 207]** के वाद में 'शीघ्र पूर्व' शब्द पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'शीघ्र पूर्व' शब्द एक सापेक्ष शब्द है, जिस पर प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में विचार किया जाना आवश्यक है और कोई समय सीमा तय करके कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं बनाया जा सकता है। यह अभिव्यक्ति निकटता परीक्षण (Proximity Test) के विचार पर आधारित है। शीघ्र पूर्व शब्द तुरन्त पूर्व शब्द का पर्याय नहीं है। इन शब्दों का तात्पर्य यह होगा कि बयान देने तथा मृत्यु के मध्य का अंतराल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। यह 'युक्तियुक्त समय' पर विचार करता है जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि यह प्रत्येक मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों के तहत समझा एवं निर्धारित किया जाना चाहिए। दहेज हत्या के सम्बन्ध में मृतका के प्रति क्रूरता या उत्पीड़न के अस्तित्व को दर्शाने वाली किसी विशेष परिस्थितियां किसी विशेष उदाहरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आम तौर पर आचरण के एक क्रम को संदर्भित करती हैं। ऐसा आचरण एक समयावधि में विस्तृत हो सकता है। यदि क्रूरता, उत्पीड़न अथवा दहेज की मांग निरन्तर बनी रहती है तब उस दशा में यदि ऐसे व्यवहार की अनुपस्थिति दर्शाने वाली कोई अन्य मध्यवर्ती परिस्थितियां अभिलेख पर नहीं लायी जाती तब उसे दहेज हत्या समझा जाएगा। यद्यपि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे समय को किसी भी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव परिणामी मृत्यु के

मध्य निकट एवं जीवित सम्बन्ध अभियोजन द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। दहेज की मांग, क्रूरता अथवा ऐसे मांग पर आधारित उत्पीड़न एवं मृत्यु की तिथि समय में बहुत दूरी नहीं होनी चाहिए, जिसे परिस्थितियों के अंतर्गत अत्यन्त पुराना माना जाए।

86. इसी प्रकार **शेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2015 (1) SCALE 250** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "हम जानते हैं कि धारा 304 ख में 'शीघ्र' शब्द का प्रयोग किया गया है, किन्तु हम इसके प्रयोग की व्याख्या दिनों, महीनों अथवा वर्षों के संदर्भ में नहीं, बल्कि यह आवश्यक रुप से इंगित करने के रुप में पसन्द करेंगे कि दहेज की मांग पुरानी या अतीत की बात नहीं होनी चाहिए।

87. अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग किए जाने के संबंध में अभियोजन साक्षी नान्हू (पी०डब्लू०–1) द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसकी लड़की (मृतका) की शादी आज से करीब 4–5 साल पहले ज्ञानू के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुयी थी। शादी के समय उसने अपने सामर्थ के अनुसार काफी दान–दहेज दिया था। मृतका की विदाई शादी में ही हुयी थी, लेकिन गौना एक साल के बाद किया था। मृतका पति ज्ञानू, ससुर लक्ष्मी प्रसाद व जेठ विनोद, उसकी लड़की से सोने की लर (माला) व रूपयों की मांग को लेकर मारते–पीटते थे, गाली गुप्ता देते थे। मृतका के ससुराल में जब कोई जाता था या वह जब ससुराल से मायके आती थी, वह वादी मुकदमा, उसकी पत्नी व बच्चों आदि परिवार वालों को बताती थी। तब वादी मुकदमा अपनी लड़की (मृतका) को समझाते थे कि धीरे–धीरे सब ठीक हो जायेगा, जब उनके पास होगा तब वे दे देंगे और यही बात उसके ससुराल वालों को भी बताते थे। यही बात बता कर उसने अपनी लड़की को विदा कर दिया।

88. अभियोजन साक्षी शिवकुमारी (पी०डब्लू०–2) द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि जब उसकी लड़की(मृतका) ससुराल गई थी तो सोने की जंजीर और रूपये की मांग कर रहे थे। उसके ससुराल वाले दुकान चलाने के लिये मांग रहे थे। ज्ञानू, उनके भाई विनोद व पिता लक्ष्मी प्रसाद यह सभी लोग मांगते थे। वह देने के लिये तैयार थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम घर जाओ, न दे पाने के कारण से मेरी बिटिया (मृतका) को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। यह सारी बातें उसे उसकी बेटी बताती थी। वह सोने की लर व रूपया नहीं दे पाई थी, इसलिये उसकी बिटिया को जान से मार कर खत्म कर दिया था।

89. अभियोजन साक्षी अरविन्द कुमार (पी०डब्लू०–3) द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसकी बहन (मृतका) की शादी दिनांक–05.06.2017 को ज्ञानू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद से हिन्दू रीति–रिवाज से हुई थी। मृतका की शादी में उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार काफी दान–दहेज दिया था, ससुराल में जाने के बाद ज्ञानू, मृतका के ससुर लक्ष्मी प्रसाद व जेठ विनोद दहेज में सोने की लर व दो लाख रूपया की मांग कर रहे थे, जिसके लिए उसकी दीदी को काफी परेशान, मानसिक व शारीरिक रूप से करते थे। उसके पिता के पास इतना आमदनी नहीं है कि दहेज में सोने की लर व रूपया दे सके, इसलिये ज्ञानू, दीदी के ससुर व जेठ विनोद उसकी दीदी (मृतका) को मारते–पीटते व दहेज के लिये प्रताड़ित किया करते थे। यह बात मृतका उससे, उसकी माँ व परिवार के अन्य सदस्यों से बताया करती थी। तब घर के लोग दीदी (मृतका) को समझाते थे कि तुम्हारा घर है, धीरे–धीरे ठीक हो जायेगा। दिनांक–30.04.2019 को उसकी बहन (मृतका) की मृत्यु हुयी थी।

90. अभियोजन साक्षी धर्मपाल (पी०डब्लू०–4) द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि उसकी बहन (मृतका) की शादी वर्ष 2017 को ज्ञानू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद से हिन्दू रीति–रिवाज से हुई थी। मृतका की शादी में उसके चाचा नान्हू ने अपने सामर्थ के अनुसार दान–दहेज दिया था, लेकिन मेरे जीजा ज्ञानू, मृतका के ससुर लक्ष्मी प्रसाद व जेठ विनोद दहेज में सोने की लर और रूपयों की मांग किया करते थे, लेकिन उसके चाचा सोने की लर और रूपया देने में असमर्थ थे, जिसके कारण ज्ञानू, लक्ष्मी प्रसाद व विनोद मेरी बहन को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। यह बात जब मृतका मायके आती थी या उसके ससुराल कोई जाता था, तब उससे बतलाती थी। तब वे लोग मृतका को समझाते थे कि वह तुम्हारी ससुराल है, तुमको वही पर रहना है, किसी तरीके से अपना जीवन निर्वहन करो।

91. उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण के कथनों से यह पूर्णतः साबित है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज के रुप में दो लाख रुपए व सोने की लर की मांग की जाती रही थी एवं उक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका को मारा–पीटा एवं प्रताड़ित किया जाता था तथा अभियुक्तगण द्वारा मृतका के विवाह के उपरान्त उसकी मृत्यु की तिथि तक मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किए जाने का कृत्य निरंतर जारी था, जिसकी जानकारी मृतका द्वारा समय–समय पर अपने परिजनों को दी जाती रही थी। इस प्रकार अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग करने व मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर उसे प्रताड़ित करने एवं मृतका की मृत्यु के मध्य ऐसा समयान्तराल नहीं है, जिसे अत्यन्त पुराना माना जाए, बल्कि दहेज की मांग, प्रताड़ना व मृतका की मृत्यु के मध्य निरंतरता के कारण निकट सम्बन्ध प्रकट होता है।

92. इस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर भी विचार किया जाना अपेक्षित है। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के अनुसार चूंकि मृतका व अभियुक्त ज्ञानू के मध्य प्रेम विवाह संपादित हुआ था। इस स्थिति में दान–दहेज की मांग किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त मृतका व अभियुक्त के मध्य सम्बन्ध अच्छे थे। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को लखनऊ व अन्य जगहों पर घुमाने भी ले जाया जाता था। इस परिस्थितियों में अभियुक्त अथवा उसके परिजनों द्वारा मृतका एवं उसके परिजनों से दहेज की मांग किया जाना व दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित किये जाने का आरोप स्वाभाविक व विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

93. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से यह प्रकट हो रहा है कि इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि मृतका व अभियुक्त के मध्य विवाह किन परिस्थितियों में संपादित हुआ था अथवा विवाह के समय बचाव पक्ष द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी या नहीं। अभियोजन के कथनानुसार विवाह के उपरांत जब मृतका अपने ससुराल गयी। तदोपरान्त विचाराधीन अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा तथा अभियोजन साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये कथनों के उपरोक्त विवेचन से इस तथ्य की पूर्णतया पुष्टि हो रही है। जहाँ तक अभियुक्त ज्ञानू और मृतका के मध्य अच्छे सम्बन्ध होने का प्रश्न है वहाँ अभियोजन साक्षीगण के कथनों से इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। इन परिस्थितियों के आधार पर बचाव पक्ष द्वारा उद्धरित एक दो घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त नहीं

किया जा सकता है कि सामान्यतः मृतका व अभियुक्त ज्ञानू के मध्य अच्छे सम्बन्ध थे। अतएव बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क से बचाव पक्ष को कोई समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है।

94. अग्रेतर बचाव पक्ष द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के परिवार में बंटवारा हो गया था तथा मृतका व उसके पति अभियुक्त ज्ञानू शेष परिजनों से अलग रहते थे। बचाव पक्ष द्वारा इस तथ्य के समर्थन में चार बचाव साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। उक्त चारों बचाव साक्षीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त ज्ञानू के शादी होने के उपरांत अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद ने अपने तीनों लड़कों के मध्य बटवारा कर दिया था ज्ञानू अपनी पत्नी के साथ रहता था तथा विनोद भी अलग बंटवारा करके अपनी पत्नी के साथ रहता था। बचाव साक्षीगण के कथनों से मात्र यह तथ्य दर्शित हो रहा है कि विचाराधीन अभियुक्तगण संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ निवास नहीं करते थे, किन्तु विचारण के दौरान बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि विचाराधीन अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद व विनोद का अभियुक्त ज्ञानू की गृहस्थी से कोई वास्ता–सरोकार नहीं था तथा उक्त दोनों अभियुक्तगण सामान्य रूप से मृतका व अभियुक्त ज्ञानू को दैनिक दिनचर्या में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थे। यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये तथ्य के समस्त साक्षीगण द्वारा विचाराधीन अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू द्वारा मृतका से दहेज की मांग किये जाने एवं दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किये जाने का स्पष्ट कथन किया गया है। अतः बचाव पक्ष द्वारा मात्र यह कथन किया जाना कि विचाराधीन अभियुक्तगण के परिवार के मध्य बंटवारा हो गया था, अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता।

95. इस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस तर्क पर भी विचार किया जाना भी आवश्यक है कि अभियोजन द्वारा घटना में किसी स्वतंत्र साक्षी अर्थात वादी मुकदमा के भाई की लड़की, जिसका विवाह मृतका के ससुराल से थोड़ी ही दूर पर हुआ था, को परीक्षित नहीं कराया गया है। जबकि, मृतका के ससुराल के सबसे निकट होने के कारण वह इस प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी हो सकती थी। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ज्ञानचंद व अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2013 (14) एस०सी०सी० 420** के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इस आधार पर कि किसी स्वतंत्र साक्षी को अन्वेषण अथवा कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि अभियोजन पक्ष के साक्षियों का साक्ष्य सुसंगत, विश्वासप्रद, विश्वसनीय एवं भरोसेमंद पाया जाता हो, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कथन पर संदेह नहीं किया जा सकता, यदि अभिलेख पर ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता हो जिससे यह निष्कर्ष निकले कि अपीलकर्ताओं को मिथ्या रूप से फँसाया गया है।

96. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आपराधिक विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन द्वारा घटना के प्रत्येक साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया जाना आवश्यक नहीं है। यदि परीक्षित कराये गए साक्षीगण का साक्ष्य स्वाभाविक एवं विश्वसनीय हो तो उस दशा में मात्र इस आधार पर कि अभियोजन द्वारा घटना के स्वतंत्र साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन के मामले को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

97. विचाराधीन प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण यथा वादी मुकदमा, उसकी पत्नी तथा मृतका के भाइयों द्वारा अपने कथनों में अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज की मांग की जाने एवं

दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किये जाने का स्पष्ट रूप से कथन किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी विस्तृत प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तत्व प्रकट नहीं हुआ, जिससे उक्त साक्षीगण के साक्ष्य की स्वाभाविकता व विश्वसनीयता खण्डित होती हो। अतएव, मात्र इस आधार पर कि अभियोजन द्वारा किसी विशेष साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन का संपूर्ण मामला निरस्त नहीं किया जा सकता है।

98. मृतका की मानसिक स्थिति सही न होने के संबंध में प्रस्तुत तर्क से समर्थन प्राप्त करने के लिए बचाव पक्ष द्वारा निश्चायक साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित करना अपेक्षित है कि अपनी मृत्यु के समय मृतका की मानसिक स्थिति इस प्रकार थी कि जिससे प्रभावित होकर मृतका द्वारा आत्महत्या करना संभावित था, किन्तु अभियुक्त द्वारा विचारण के समय ऐसा कोई निश्चायक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा मात्र यह कथन किया जाना कि मृतका का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था तथा वह अवसाद ग्रस्त रहती थी, बचाव पक्ष के इस तर्क को संबल प्रदान नहीं करता है कि मृतका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसने स्वयं आत्महत्या कर ली।

99. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य साबित किया गया है कि मृतका व अभियुक्त ज्ञानू के विवाह के सात वर्ष के भीतर मृतका की मृत्यु असमान्य परिस्थितियों में हुई है तथा मृतका के पति ज्ञानू, ससुर लक्ष्मी प्रसाद व जेड विनोद द्वारा मृतका को उसकी मृत्यु के शीघ्र पूर्व तक दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। अतः हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रावधानित उपधारणा का सृजन होता है।

100. दहेज की मांग व उससे संबंधित क्रूरता का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले साक्षी वादी मुकदमा नान्हू (पी०डब्लू०–1) द्वारा किए गए कथन की संपुष्टि साक्षी शिवकुमारी (पी०डब्लू०–2), अरविन्द कुमार (पी०डब्लू०–3) एवं धर्मपाल (पी०डब्लू०–4) की साक्ष्य से हुई है और उक्त साक्षीगण न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथानक का समर्थन किए हैं। अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य विद्यमान हैं कि अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू के द्वारा मृतका को दहेज के रुप में दो लाख रुपए तथा सोने की चैन की मांग के लिए प्रताड़ित किया गया था। मृतका की मृत्यु के पूर्व अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ क्रूरता किए जाने का साक्ष्य पत्रावली में विद्यमान है। अतः अभियोजन दहेज मृत्यु के दो महत्वपूर्ण तत्व–'दहेज की मांग' एवं मृत्यु से कुछ पूर्व मृतका के साथ 'क्रूरता' साबित करने में सफल रहा है। स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु 'दहेज मृत्यु' (Dowry Death) की परिधि में आती है।

101. उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी एवं उक्त मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया और मार–पीटकर उसकी दहेज हत्या कारित की गई है।

102. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा विधि के प्रावधानों का सम्यक परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू पर लगा आरोप अंतर्गत धारा 498 ए व 304 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है। अभियोजन द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण लक्ष्मी

प्रसाद, विनोद व ज्ञानू अंतर्गत धारा 498 ए व 304 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

<u>वैकल्पिक आरोप अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता</u>

103. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498 ए व 304 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक रूप से धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू के विरुद्ध दहेज मृत्यु के आरोपों को साबित किया गया है। जहां तक धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्यों से यह तथ्य पूर्णतयाः स्थापित हो रहा है कि मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी हो। अतः धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता (वैकल्पिक आरोप) का अपराध अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू के विरुद्ध अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका है। अभियोजन द्वारा धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अवयव को साबित नहीं किया जा सका है, इसलिए वैकल्पिक आरोप अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता प्रमाणित न होने से अभियुक्त उक्त वैकल्पिक आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

104. उपरोक्त किए गए सम्यक विश्लेषण के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू द्वारा मृतका को विवाह के उपरान्त से उसकी मृत्यु तक दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है और दहेज की मांग मृत्यु के पूर्व की गई।

105. इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, साक्ष्यों व उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू द्वारा मृतका की दहेज मृत्यु कारित की गई। अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह भी साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू द्वारा मृतका को दहेज के रुप में दो लाख रुपए व सोने की चैन की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया। अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे यह भी साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू द्वारा मृतका से दहेज की मांग की गयी। अतः अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू वैकल्पिक आरोप अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषमुक्त एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए व 304 बी भारतीय दण्ड संहिता तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू** को सत्र वाद संख्या 197/2019, मुकदमा अपराध संख्या 104/2019, थाना– कटरा बाजार, जनपद–गोण्डा के आरोप अंतर्गत **धारा 498 ए व 304 बी भारतीय दण्ड संहिता** तथा **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के दण्डनीय अपराध में **दोषसिद्ध** किया जाता है तथा वैकल्पिक आरोप **धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। अभियुक्तगण लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

अभियुक्त के जमानत तथा बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है। पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु **दिनांक** 03.08.2026 पेश हो।

(मनोज कुमार)

J.O.Code–U.P3835

दिनांक–01.08.2026

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी
न्यायालय–प्रथम (महिलाओं के विरूद्ध अपराध),
गोण्डा।